मध्यप्रदेश शासन

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2015-16

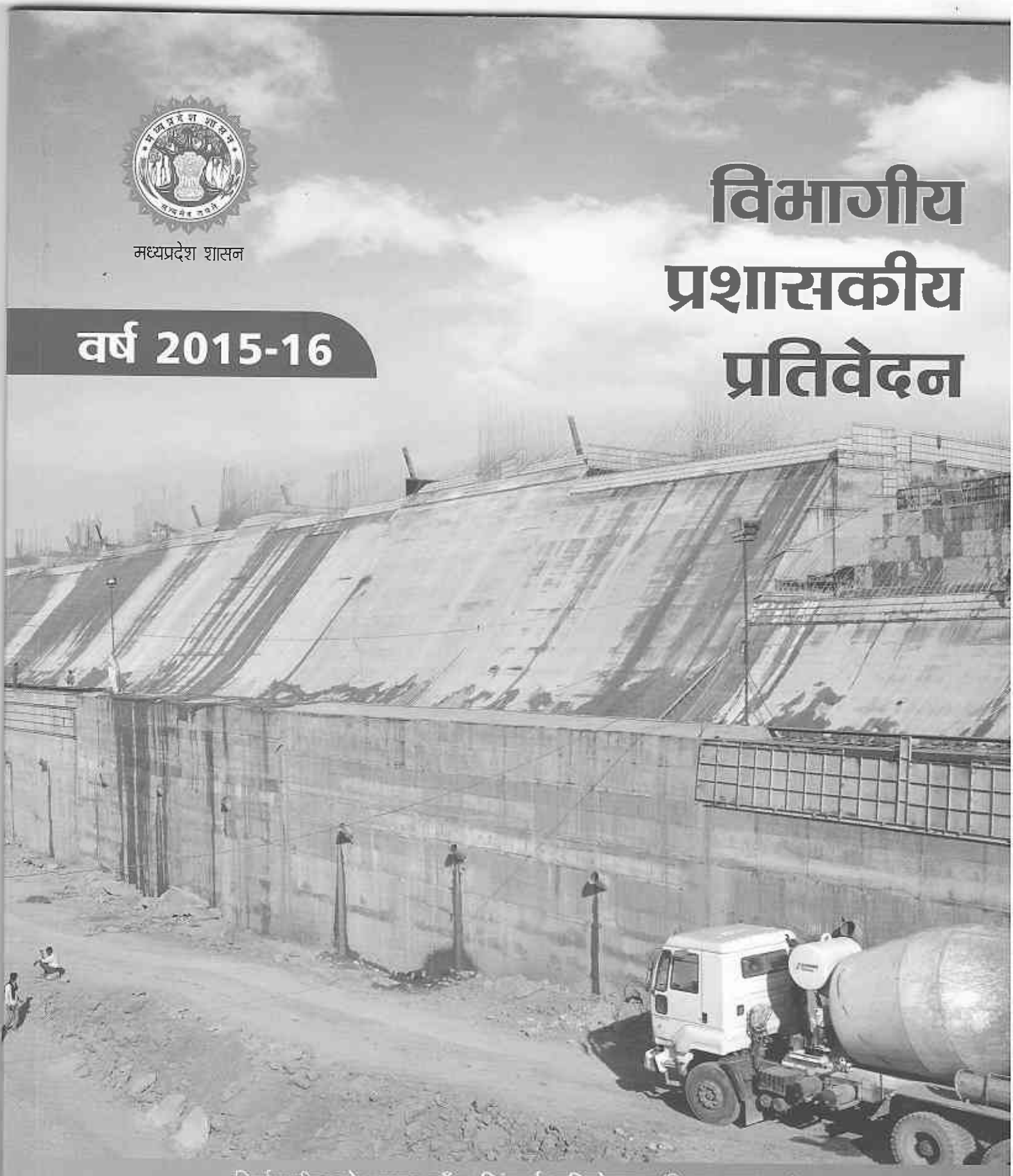

निर्माणाधीन मोहनपुरा बाँध सिंचाई परियोजना (जिला राजगढ़)

जल संसाधन विभाग

ई.आर.एम. बारना मुख्य नहर (जिला रायसेन)

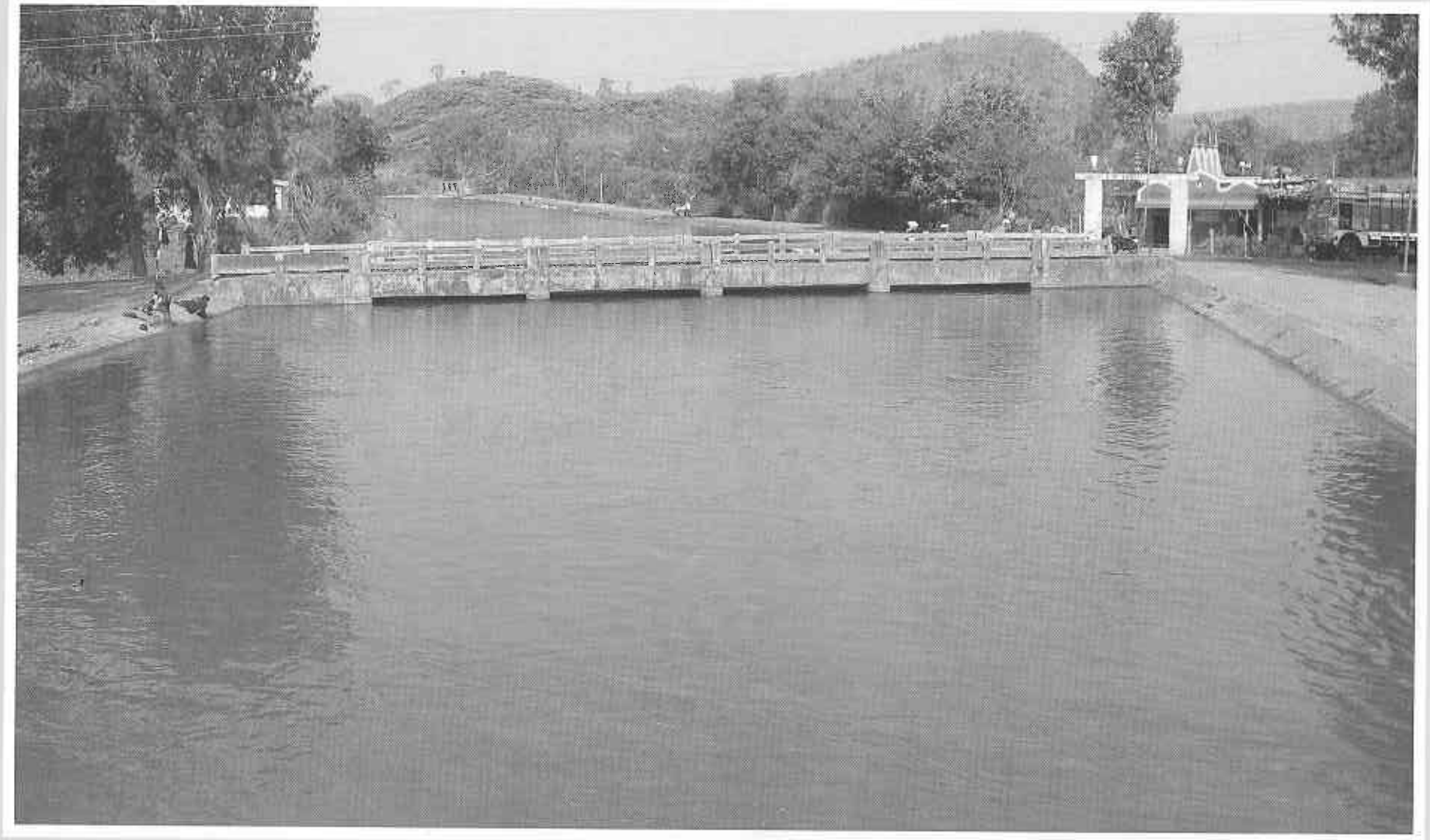

मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2015-16

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योटी नहर (जिला–रीवा)

जल संसाधन विभाग

जल संसाधन विभाग
प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2015–16

विभाग का नाम	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग
मंत्री	माननीय श्री जयन्त कुमार मलैया

मंत्रालय

अपर मुख्य सचिव	श्री राधेश्याम जुलानिया
सचिव	श्री टी.आर. कपूर
उपसचिव	श्री नंद कुमारम श्री व्ही.एस. टेकाम श्री आर.पी. एस. जादौन
अवर सचिव	श्री पी.के. खरे

विभागाध्यक्ष

प्रमुख अभियन्ता	श्री एम.जी. चौबे
आयुक्त, कमाण्ड क्षेत्र विकास	श्री राजीव सुकलीकर
परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएं, भोपाल	श्री नंद कुमारम

विषय विवरणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ क्रम
अध्याय–1	**विभाग की संरचना**	1–5
1.1	प्रदेश की सामान्य जानकारी	1
1.2	विभाग की संरचना	1
1.3	विभाग के अंतर्गत आने वाले मंडल–संभागों का विवरण	3
1.4	विभाग का दायित्व	3
1.5	विभाग के अधिकारियों के उत्तरदायित्व एवं कार्य	4
अध्याय–2	**विभागीय बजट**	6–8
2.1	पंचवर्षीय योजना	6
2.2	बजट प्रावधान निवेश एवं व्यय	6
2.3	सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग	7
अध्याय–3	**राज्य परियोजनायें तथा केन्द्र प्रवर्तित परियोजनायें**	9–19
3.1	विभाग के अधीन परियोजनाएँ	9
3.1.1	वृहद परियोजनाऐं	9
3.1.2	मध्यम परियोजनाएँ	10
3.1.3	लघु सिंचाई योजनाएँ	12
3..2	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	13
3.3	कमाण्ड क्षेत्र विकास	13
3.4	विश्वबैंक पोषित राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजनाए	14
3.5	नाबार्ड ऋण सहायता प्राप्त योजनाऐं	15
3.6	विश्वबैंक सहायता प्राप्त मध्यप्रदेश वॉटर सेक्टर री–स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट	16
3.7	विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना 'ड्रिप' (DRIP)	18
3.8	बुन्देलखण्ड क्षेत्र विकास हेतु विशेष पैकेज	18
अध्याय–4	**सिंचाई एवं राजस्व**	20–23
4.1	सिंचाई	20
4.2	राजस्व	22
4.3	प्रयोजनवार जल राजस्व वसूली की स्थिति	23

अध्याय	विषय	पृष्ठ क्रम
अध्याय–5	**विभाग की महत्वपूर्ण संरचनाएँ**	24–30
5.1	बांध सुरक्षा संगठन	24
5.2	संचालक पी.आई.एम.	24
5.3	सिंचाई अनुसंधान संचालनालय	25
5.4	जल मौसम विज्ञान संचालनालय	26
5.5	भूजल सर्वेक्षण इकाई	26
5.6	केन बेतवा लिंक परियोजनाएं	27
5.7	लोकायुक्त प्रकोष्ठ	28
5.8	सतर्कता प्रकोष्ठ	28
5.9	जन शिकायत निवारण/ सामान्य शिकायत प्रकोष्ठ	28
5.10	एकल नस्ती	28
5.11	न्यायालयीन प्रकरण	28
5.12	विधानसभा प्रकोष्ठ	29
5.13	सूचना का अधिकार	29
5.14	दृष्टिपत्र – 2018	29
अध्याय–6	**'जेण्डर मुद्दों' पर विभागीय गतिविधि**	31
अध्याय–7	**विभाग की प्रतिबध्दताएँ एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ**	32–33
7.1	विभाग की प्रतिबध्दता	32
7.2	महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ	32

अध्याय – एक

विभाग की संरचना

1.1 प्रदेश की सामान्य जानकारी :–

मध्यप्रदेश राज्य की सीमाएं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से लगी हैं। प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 308 लाख हेक्टर है। जलवायु मूलतः उष्णकटिबंधीय एवं दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून पर आश्रित है। इसे 7 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा सामान्यतः उत्तर पश्चिमी भाग में 60 से.मी. तथा दक्षिण पूर्वी भाग में 100 से 120 से.मी. होती है। मध्यप्रदेश की जनसंख्या (जनगणना 2011) के अनुसार 725.98 लाख है, जो देश की जनसंख्या का 6 प्रतिशत है। राज्य की जनसंख्या का 71.48 प्रतिशत कृषि पर निर्भर हैं। कृषकों में से 52 प्रतिशत कृषक सीमांत कृषक हैं।

1.1.1 मध्यप्रदेश जल स्त्रोतों से संपन्न राज्य है। राज्य में नर्मदा, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ताप्ती, पेंच, वैनगंगा एवं माही नदियों का उद्गम स्थल है। राज्य की नदियां केवल वर्षा पोषित हैं, क्योंकि इनका उद्गम हिम विहीन पर्वतों से है। प्रदेश की नदियां सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। माही एवं ताप्ती नदी पश्चिम में; सोन नदी पूर्व में; नर्मदा एवं ताप्ती नदी पश्चिम की ओर; चम्बल, बेतवा, केन उत्तर की ओर; तथा पेंच एवं वैनगंगा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। प्रदेश का औसत सतही जल प्रवाह 75 प्रतिशत निर्भरता पर 81500 मिलियन घनमीटर है जिसमें 56800 मिलियन घनमीटर प्रदेश को आवंटित है। शेष 24700 मिलियन घनमीटर जल अंर्तराज्यीय समझौते के अंतर्गत पड़ोसी राज्यों को आवंटित है। प्रदेश में भूगर्भीय जल की मात्रा 34500 मिलियन घनमीटर आंकलित है।

1.1.2 मध्यप्रदेश में लगभग 155.25 लाख हेक्टर कृषि भूमि है। जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा निर्मित सिंचाई परियोजनाओं की कुल निर्मित सिंचाई क्षमता वर्ष 2014–15 में 33.96 लाख हेक्टर थी जिसके विरूद्ध रबी 2014–15 में 27.17 लाख हेक्टर एवं खरीफ में 2.58 लाख हेक्टर कुल 29.75 लाख हेक्टर में सिंचाई की गई। फरवरी 2016 तक निर्मित सिंचाई क्षमता 35.20 लाख हेक्टर हो गई है जिसके विरूद्ध खरीफ में 3.87 लाख हेक्टर एवं रबी में 27.87 लाख हेक्टर कुल 31.74 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की गई है। हमारा प्रयास है कि विभाग वर्ष 2018 तक 40 लाख हेक्टर एवं वर्ष 2025 तक प्रदेश के सभी शासकीय स्त्रोतों से सिंचाई क्षमता बढ़ाकर 60 लाख हेक्टर करने का लक्ष्य है। विभाग द्वारा निर्मित बॉध अधिकांश महानगरों, नगरों एवं कस्बों में पेयजल के भी प्रमुख स्रोत हैं।

1.2 विभाग की संरचना

मध्यप्रदेश में जल संसाधन विभाग की स्थापना वर्ष 1956 में की गई। जल संसाधन विभाग को, प्रदेश में शासकीय जल स्त्रोतो से जल संसाधन परियोजनाओं का विकास तथा प्रबंधन (नर्मदा घाटी की वृहद् परियोजनाओं को छोड़कर) का दायित्व सौंपा गया है।

प्रदेश की सभी सिंचाई परियोजनाओं के सैंच्य क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण विभाग के अधीन है। जल संसाधन विभाग की स्थापना में दो विभागाध्यक्ष (1 प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन एवं 1 आयुक्त, कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय) एवं 14 मुख्य अभियन्ता के पद स्वीकृत हैं।

1.2.1 प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मैदानी मुख्य अभियंताओं का जिलेवार अधिकार क्षेत्र (नर्मदा घाटी विकास विभाग की परियोजनाओं को छोड़कर) इस प्रकार हैः–

1. **चम्बल बेतवा कछार, भोपालः**
जिला भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, गुना एवं अशोकनगर ।

2. **नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौरः**
जिला इंदौर, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास शाजापुर एवं आगर–मालवा।

3. **होशंगाबादः**
जिला बैतूल, होशंगाबाद तथा हरदा तथा बारना (रायसेन एवं सीहोर जिला) एवं कोलार वृहद परियोजना (जिला सीहोर) का सिंचित क्षेत्र।

4. **यमुना कछार, ग्वालियरः**
जिला ग्वालियर, शिवपुरी, भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर–कला (सिंध परियोजना द्वितीय चरण को छोड़ कर)।

5. **गंगा कछार, रीवाः**
जिला रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली एवं सतना।

6. **धसान केन कछार, सागरः**
जिला सागर, छतरपुर, पन्ना, दमोह एवं टीकमगढ़।

7. **बैनगंगा कछार, सिवनीः**
जिला सिवनी, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, मण्डला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर एवं कटनी।

8. **राजघाट नहर परियोजना, दतियाः**

राजघाट नहर एवं सिंध द्वितीय चरण का कार्य जो दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, टीकमगढ़, अशोकनगर जिलों में सिंचाई करती है।

1.2.2 **मुख्य अभियन्ता (विशेष प्रयोजन)**

1. मुख्य अभियंता, ब्यूरो ऑफ डिजाईन (बोधी) भोपाल
2. मुख्य अभियंता, विद्युत यांत्रिकी भोपाल
3. मुख्य अभियंता, विश्व बैंक परियोजनाएं, भोपाल
4. मुख्य अभियंता, (प्रोक्योरमेंट) केन्द्रीय निविदा इकाई, भोपाल
5. मुख्य अभियंता, नर्मदा–मालवा लिंक परियोजना, भोपाल
6. मुख्य अभियंता, अन्तर्राज्यीय जल समझौता इकाई, भोपाल

1.2.3 आयुक्त, कमांड क्षेत्र विकास संचालनालय, भोपाल

1.3 विभाग के अंतर्गत आने वाले मंडल/संभागों का विवरण

जल संसाधन विभागान्तर्गत प्रमुख अभियंता के मार्गदर्शन में 1 आयुक्त (प्रमुख अभियन्ता स्तर) कमांड क्षेत्र विकास भोपाल, 1 परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनायें (मुख्य अभियंता स्तर) भोपाल सहित 13 मुख्य अभियंता (नागरिक), एक मुख्य अभियन्ता (वि.यां), 34 मंडल कार्यालय, आयाकट से संबंधित 9 प्रकोष्ठ, 128 संभाग तथा 553 उपसंभाग कार्यरत हैं। वर्तमान में विभाग में प्रथम श्रेणी के 349, द्वितीय श्रेणी के 1164, तृतीय श्रेणी के 8234 तथा चतुर्थ श्रेणी के 1384 पद स्वीकृत हैं । नियमित स्थापना के कर्मचारियों के साथ साथ विभाग में कार्यभारित स्थापना के लगभग 6479 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस अमले द्वारा मध्यप्रदेश में वृहद्, मध्यम एवं लघु परियोजनाओं से सबंधित सर्वेक्षण, निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य किये जा रहे हैं। साथ ही स्वारा एवं स्वाराडेक अंतर्गत विभिन्न संभागों में 26 पद प्रति माह मानदेय पर स्वीकृत हैं। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या भी लगभग 11439 हैं ।

1.4 विभाग का दायित्व

मध्यप्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों के समुचित एवं समन्वित विकास का दायित्व जल संसाधन विभाग को सौंपा गया है। जिसके अंतर्गत –

- राज्य के जल संसाधन का आंकलन करना और एकीकृत जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन की व्यापक योजना बनाना, नीति निर्धारित करना और जल के समन्वित उपयोग को प्रभावशील करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करना।
- जल संसाधनों के विकास में एकरूपता लाना तथा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की सहायता से जल संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना।
- सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र के विकास के क्रियान्वयन का कार्य करना।
- भू–जल संसाधनों को योजनाबद्ध रूप से सतही जल के साथ एकीकृत कर, सिंचाई के लिए जल संसाधनों के सम्यक अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आंकडों को एकत्र करना, उनका अध्ययन एवं विश्लेषण करना तथा नीति निर्धारण।
- परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान तथा परियोजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाना।
- वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजना, उद्वहन का निर्माण तथा, निर्मित सिंचाई परियोजनाओं का अनुरक्षण।
- बांधो, नहरों का समग्र रूपांकन, निर्माण सामग्री का प्रयोगशाला परीक्षण तथा प्रतिकृति अध्ययन।

- बाढ़ नियंत्रण योजनाएं बनाना तथा जल विज्ञान की सहायता से जलाशयों का बाढ़ के समय परिचालन।
- सहभागिता सिंचाई प्रबंधन की नीति के अनुरूप सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी को प्रोत्साहन करना।
- पुराने बांधों का सुदृढ़ीकरण करना।
- केन्द्र शासन को जल संसाधन से सबंधित विभिन्न विषयों पर सहयोग एवं जानकारी उपलब्ध कराना, जिसमें नदियों को जोड़ने का कार्य, वृहद् योजनाओं के विवरण, प्रगति, लोकसभा तथा राज्य सभा के प्रश्नो के उत्तर इत्यादि सम्मिलित हैं।
- अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं से सबंधित परिषदों में प्रदेश का पक्ष रखना।
- अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं से राज्यों के मध्य अनुबंध अनुसार सिंचाई के लिये जल प्राप्त करने हेतु सार्थक प्रयास करना।
- जल से सबंधित विषयों पर अन्य विभागों को सहयोग देना।
- कर्मचारी/अधिकारियों के पदोन्नति, पदस्थापना के लिए नियमानुसार कार्यवाही करना।
- विभागीय कार्यो की दरों को समय–समय पर पुनरीक्षित करना, तकनीकी निर्देश, नियम इत्यादि तैयार करना।

1.5 जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के उत्तरदायित्व एवं कार्य

1.5.1 प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता, विभागाध्यक्ष के रूप में समस्त प्रदेश के लिये कार्यरत हैं । प्रमुख अभियंता शासन के लिए अपने कार्यक्षेत्र हेतु सलाहकार है तथा मुख्य अभियन्ताओं के बीच समन्वय का कार्य करते है ।

1.5.2 मुख्य अभियंता

मुख्य अभियंता, अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जल संसाधन विकास की समस्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये विभागाध्यक्ष हैं। वे अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत समस्त सर्वेक्षण, निर्माण, अनुरक्षण कार्य एवं सिंचित क्षेत्र का विकास कराते हैं । वे अपने कार्य क्षेत्र की कार्य योजना बनाने, कार्यों के क्रियान्वयन एवं वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं।

1.5.3 अधीक्षण यंत्री

अधीक्षण यंत्री अपने क्षेत्र के अधीन लेखा, कार्य, रूपांकन, अनुसंधान इत्यादि कार्यो के सम्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। अधीक्षण यंत्री अपने कार्य क्षेत्र के अतंर्गत कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उपयंत्री एवं अन्य संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों के लिये नियंत्रण अधिकारी हैं। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के क्रियाकलापों में गतिशीलता प्रदान करना भी उनका दायित्व है।

1.5.4 कार्यपालन यंत्री

कार्यपालन यंत्री विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय प्रमुख हैं। वे मण्डल के अधीक्षण यंत्री के नियंत्रण में अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले समस्त कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। कार्यपालन यंत्री के कार्यों में सिंचाई, परियोजना तैयार करना, निर्माण, रख–रखाव एवं सिंचाई के साथ अन्य समस्त अभियांत्रिकीय कार्य हैं। कार्यों पर नियंत्रण रखकर क्रियान्वयन कराना कार्यपालन यंत्री का दायित्व है। जल संसाधन संभाग में पदस्थ कार्यपालन यंत्री उसके जिले में जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि का काम करता है।

1.5.5 सहायक यंत्री

कार्यपालन यंत्री के अधीन सहायक यंत्री अपने कार्य क्षेत्र के निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन एवं मानक गुणवत्ता के अनुरूप निर्माण तथा सिंचाई कराने के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी है। सहायक यंत्री अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से मापदण्ड, ड्रांईग एवं नियमों के अंतर्गत कार्यों का सम्पादन कराने के लिये उत्तरदायी है। अनुविभागीय अधिकारी के प्रभार में रहते हुए सहायक यंत्री को अपने कार्य क्षेत्र में सिंचाई सुनिश्चित करना है एवं सिंचाई राजस्व वसूली के लिये उसे अतिरिक्त तहसीलदार की शक्तियॉ प्रदत्त हैं।

1.5.6 उपयंत्री

उपयंत्री कार्यस्थल पर कार्य का प्रभारी है जो कार्यस्थल पर निर्माण कार्यो के निष्पादन एवं सिंचाई सुनिश्चित करता है। जल कर वसूली के लिए उसे नहर अधिकारी के अधिकार प्राप्त हैं। उपयंत्री सिंचाई जल उपभोक्ता संथा का सक्षम प्राधिकृत अधिकारी है।

अध्याय – दो

विभागीय बजट

2.1 पंचवर्षीय योजना :

दसवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 तक कुल 19.46 लाख हेक्टर सैच्य क्षेत्र (CCA) सिंचाई क्षमता निर्मित की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष (2007–2012) में रू. 8715.33 करोड़ निवेश कर निर्मित सिंचाई क्षमता में 5.07 लाख हेक्टर सैच्य क्षेत्र (CCA) की वृद्धि की जाकर कुल 24.53 लाख हेक्टर सैच्य क्षेत्र सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2012–2017) में रु. 17614 करोड़ लागत से 5.66 लाख हेक्टर सैच्य क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित किये जाने का लक्ष्य है । वर्तमान में बारहवीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत जनवरी 2016 तक की स्थिति में कुल सैच्य क्षेत्र 29.58 लाख हेक्टर विकसित किया जा चुका है।

बारहवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ तथा 2016–17 के लक्ष्यों का विवरण तालिका अनुसार है :–

राशि रुपये करोड में सिंचाई लाख हेक्टर मे

योजना	बारहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य		वार्षिक योजना वर्ष 2015–2016 (दिसम्बर 2015 तक)				वार्षिक योजना 2016–17	
			लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य	
	वित्तीय प्रावधान	सिंचाई क्षमता	वित्तीय प्रावधान	सिंचाई क्षमता	व्यय	निर्मित सिंचाई क्षमता	वित्तीय प्रावधान	प्रस्तावित सिंचाई क्षमता
वृहद एवं मध्यम योजना	11850.80	3.41	4192.82	0.71	3074.32	0.57	4316.01	0.70
लघु योजना	5408.00	2.25	985.51	0.55	671.17	0.47	1054.06	0.50
बाढ़ नियंत्रण	80.00	.	12.55	.	5.60	–	14.01	
आयाकट	275.20	.	201.00	.	119.13	–	350.00	
कुल योग	**17614.00**	**5.66**	**5391.88**	**1.26**	**3870.22**	**1.04**	**5734.08**	**1.20**

2.2 बजट प्रावधान निवेश एवं व्यय

विभाग का वर्ष 2011–12 से बजट प्रावधान एवं व्यय का मदवार विवरण निम्नानुसार है:–

(रुपये करोड़)

वित्तीय वर्ष	योजना मद		गैर योजना मद	
	प्रावधान	निवेश	प्रावधान	व्यय
2011–2012	2355.05	2270.72	496.70	466.42
2012–2013	3105.97	3047.68	570.44	519.75
2013–2014	3311.08	3265.33	549.26	542.90
2014–2015	3609.66	3540.88	589.04	587.74
2015–2016 (दिस. 2015 तक)	5391.88	3870.22	684.86	430.92

2.3 विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रक्रिया को सरलीकृत करने एवं पारदर्शिता लाने के लिए विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। शासन एवं विभागाध्यक्ष स्तर से जारी समस्त प्रशासनिक, तकनीकी आदेश व निर्देश विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। रूपए 2 लाख से अधिक के सभी निर्माण कार्यों की निविदाएं ई टेंडरिंग के माध्यम से आमंत्रित की जा रही हैं।

वर्ष 2015–16 में रूपये 20 लाख के ऊपर की निविदाओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

आमंत्रित की गई कुल निविदायें	आमंत्रित कार्यो की संख्या	आमंत्रित की गई निविदाओं की कुल राशि (लाखं) में	स्वीकृत निविदाओ की कार्यो की संख्या	स्वीकृत निविदाओ की कार्यो की कुल राशि (लाखं) में
87	442	314838.62	292	125951.84

वर्ष 2015–16 में राशि रूपये 20 लाख तक की निविदाएं जिन्हें संभाग स्तर से ई टेंडरिंग के माध्यम से आमंत्रित किया गया, जानकारी निम्नानुसार है :–

आमंत्रित की गई कुल निविदायें	आमंत्रित कार्यो की संख्या	आमंत्रित की गई निविदाओं की कुल राशि (लाखं) में
61	1356	5851.25

विभाग की कई प्रक्रियाएं ऑनलाईन करने के लिए 'इन्टरप्राइज इन्फारमेशन मैनेजमेंट सिस्टम–ई.आई.एम.एस' तैयार किया गया है जिसके उपयोग से मानिटरिंग की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। प्रमुख माड्यूल जो अभी उपयोग किए जा रहे हैं, वे निम्नानुसार हैं:–

- **'एस.एम.एस. बेस्ड रिजरवायर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम'**: विभाग के सभी वृहद एवं मध्यम जलाशयों में प्रतिदिन एस.एम.एस. से जलस्तर एवं जल की मात्रा की जानकारी के लिए उपयोग किया जा रहा है।
- **'ई–मेजरमेंट बुक'**: रूपए दस लाख से अधिक के निर्माण कार्यों के अनुबंधों में ठेकेदार के बिल का भुगतान करने में उपयोग किया जा रहा है।
- **'नॉन एग्रीकल्चर रेवेन्यू मॉनिटरिंग'**: औद्योगिक उपयोग के प्रदाय जल के बिल तैयार करने एवं राजस्व प्राप्ति की जानकारी की मानिटरिंग के लिए उपयोग किया जा रहा है।
- **'इरीगेशन मॉनिटरिंग मॉड्यूल'**: जलाशयों में जल के संग्रहण, सिंचाई के लक्ष्य निर्धारण एवं उपलब्धि की समीक्षा वेबसाईट पर जानकारी दर्ज/प्रकाशित की जाती है। रबी सीजन में सिंचाई की जानकारी पाक्षिक रूप से माह की 5 एवं 20 तारीख तक वेबसाईट पर अद्यतन की जाती है।

- **माईनर स्कीम मानिटरिंग माड्यूल':** लघु सिंचाई योजनाओं की निर्माण की प्रगति मैदानी कार्यालयों द्वारा सीधे वेबसाईट पर दर्ज की जाती है एवं अधिकारियों द्वारा वेबसाईट से जानकारी प्राप्त कर समीक्षा की जाती है। इसे प्रति माह की 5 तारीख तक अद्यतन किया जाता है।

- **साध्यता (Feasibility status) माड्यूल :** लघु सिंचाई योजनाओं की साध्यता हेतु आंकड़े मैदानी कार्यालयों द्वारा वेबसाईट पर भरे जाते है। शासन स्तर पर इन्हीं आंकडों के आधार पर योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- **बजट मॉड्यूलः** मैदानी कार्यालयों द्वारा विभिन्न योजनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक बजट की मॉग वेबसाईट के माध्यम से की जाती है एवं उसी के आधार पर प्रमुख अभियन्ता द्वारा 'आन लाईन' ही बजट आवंटित किया जाता है। इसी प्रकार भविष्य में विभाग की अन्य गतिविधियों में भी सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

  उक्त सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के उपयोग से जल संसाधन विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कागजी दस्तावेज़ संधारित करने की आवश्यकता घटकर लगभग 50 प्रतिशत हो गई है। इससे जल संसाधन विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ एवं पारदर्शी हुई है और विभाग में कार्यालयों तथा अमले का युक्तियुक्तकरण करना संभव हुआ है।

अध्याय – तीन
राज्य परियोजनायें तथा केन्द्र प्रवर्तक परियोजनायें
सिंचाई परियोजनाएं

3.1 विभाग के अधीन परियोजनाएं

प्रदेश में विभाग के अधीन वर्तमान में 10 वृहद्, 26 मध्यम तथा 211 लघु सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन है। इसके अलावा 4 वृहद परियोजनाओं के आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के स्त्रोतों से जनवरी 2016 तक सिंचाई क्षमता लगभग 29.58 लाख हेक्टर निर्मित कर ली गई है। आगामी 2 वर्षों में 2.40 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचाई निर्मित किया जाना लक्षित है, जिससे निर्मित सिंचाई क्षमता 29.58 लाख से बढ़कर 31.98 लाख हेक्टर हो जाना संभावित है।

3.1.1 वृहद परियोजनायें:

प्रदेश में कुल 24 वृहद् परियोजनाओं में से 14 वृहद् परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं । निम्न 10 वृहद् परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में है ।

3.1.1.1 निर्माणाधीन वृहद परियोजनाएं:

(राशि रु.करोड़ मे , सिंचाई हेक्टर में)

स. क्र.	परियोजना	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र	भौतिक प्रगति		पूर्णता लक्ष्य
					बॉध	नहर	
1	बाणसागर परियोजना	रीवा / सीधी / शहडोल / सतना	3858.73	291620	पूर्ण	फेज–I 95% फेज–II 23%	2017-18
2	महान	सीधी	486.96	19034	98%	90%	2016-17
3	बरियारपुर बायीं नहर	छतरपुर	545.90	43323	–	98%	2016-17
4	राजीव सागर (बावनथाडी)	बालाघाट	475.58	23786	100%	90%	2016-17
5	माही	धार / झाबुआ	834.24	28220	100%	100% (नहर विस्तार 60%)	2016-17
6	सिंध द्वितीय चरण (हरसी हाई सहित)	ग्वालियर / भिंड / शिवपुरी / दतिया	2033.92	98250	100%	80%	2016-17
7	पेंच व्यपवर्तन परियोजना	सिवनी / छिन्दवाड़ा	1733.06	114880	75 %	75%	2016-17
8	मोहनपुरा सिंचाई परियोजना	राजगढ	2072.40	125000	35 %	कार्य प्रारंभ	2019-20
9	बानसुजारा परियोजना	टीकमगढ़	980.23	75000	35 %	25 %	2018-19
10	कुंडलिया वृहद बहुउद्देशीय परियोजना	राजगढ	3448.00	125000	प्रक्रियाधीन		2020-21

3.1.1.2 नवीन स्वीकृत वृहद परियोजनाएं :

स. क्र.	परियोजना	जिला	अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)
1	बीना संयुक्त सिंचाई परियोजना	सागर	1514.58	84200
2	गरोठ	मंदसौर	360.20	21400
3	चंदेरी	अशोकनगर	389.77	20000

3.1.1.3 वृहद् परियोजनाओं का ई.आर.एम. (Extension/Renovation/Modernisation)

स.क्र.	परियोजना	प्रशासकीय स्वीकृति (रु. करोड़)	पूर्णता लक्ष्य
1	राजघाट	56.83	2016–17
2	तवा (प्रथम चरण)	89.91	2016–17
3	अपर वैनगंगा	200.33	केन्द्रीय जल आयोग में परीक्षणाधीन
4	बारना	581.00	2019–20

3.1.1.4 मध्यम परियोजनाओं का ई.आर.एम. (Extension/Renovation/Modernisation)

स.क्र.	परियोजना	अनुमानित लागत (रु. करोड़)	पूर्णता लक्ष्य
1	देजला देवड़ा	17.49	2016–17
2	चोरल बॉध (मुख्य नहर एवं फीडर नहर)	6.89	2016–17
3	सरोज सरोवर (घोलाबड़)	5.72	2016–17

3.1.2 मध्यम परियोजनाएं:

विभाग के अंतर्गत कुल 142 मध्यम परियोजनाओं में से 116 मध्यम परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं एवं 26 मध्यम परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

3.1.2.1 निमार्णाधीन मध्यम परियोजनाएं

(राशि रु.करोड़ में, क्षेत्र हेक्टर में)

स.क्रं	परियोजना	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र	भौतिक प्रगति		पूर्णता लक्ष्य
					बॉध	नहर	
1	सिंहपुर बैराज	छतरपुर	260.63	9900	95 %	90 %	2015–16
2	महुअर	शिवपुरी	233.12	9500	100%	98%	2016–17
3	कुशलपुरा	राजगढ़	134.539	6300	पूर्ण	99%	2016–17
4	बनेठा उद्वहन	सीहोर	37.933	3500	पूर्ण	98%	2016–17
5	सगड़	विदिशा	296.64	9478	पूर्ण	90%	2016–17
6	संजय सागर (बाह)	विदिशा	291.95	9893	पूर्ण	85%	2016–17
7	घोघरा	सीहोर	145.36	5613	95%	65%	2016–17
8	सीप कोलार लिंक प्रोजेक्ट	सीहोर	43.473	6100	25%	60%	2016–17

9	बिलगाव	डिंडोरी	182.22	12285	75%	65%	2016–17
10	सोनपुर	सागर	127-46	7000	85%	35%	2016–17
11	सेमरी	रायसेन	110.91	5700	65%	22%	2015–16
12	कीटखेडी	आगर	66.47	3350	98%	85%	2016–17
13	पवई	पन्ना	261.54	9952	5%	35%	2016–17
14	दातूनी	देवास	174.55	8800	96%	60%	2016–17
15	मझगवां	पन्ना	358.99	12600	1%	0%	2017–18
16	श्यामरी	छतरपुर	114.76	1000	18%	निविदा प्रक्रियाधीन	2017–18
17	पंचम नगर	दमोह	263.10	25233	72%	14%	2016–17
18	सूरजपुरा	सागर	70.61	4325	46%	25%	2017–18
19	दीवानगंज सिंचाई परियोजना	रायसेन	81.34	7000	आवश्यकता नहीं	3%	2016–17
20	भानपुरा	मंदसौर	183.70	9490	आवश्यकता नहीं	10%	2016–17
21	अपर तिलवारा नहर परियोजना	सिवनी	120.06	8500	आवश्यकता नहीं	28%	2016–17
22	तरपेड़	छतरपुर	82.74	4300	60%	निविदा प्रक्रियाधीन	2017–18
23	खर्राघाट सिंचाई परियोजना	दतिया	33.076	3500	आवश्यकता नहीं	15%	2016–17
24	माचक उप नहर	हरदा	53.08	9900	आवश्यकता नहीं	87%	2016–17
25	खिरकिया नहर	हरदा	27.99	2700	आवश्यकता नहीं	75%	2016–17
26	खरसानिया उप नहर	सीहोर	11.342	4915	आवश्यकता नहीं	40%	2016–17

3.1.2.2 नवीन स्वीकृत मध्यम परियोजनाएं: (क्षेत्र हेक्टर में)

स.क्र.	योजना का नाम	जिला	सैंच्य क्षेत्र	अद्यतन स्थिति
1	पारसडोह	बैतूल	9990	प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त
2	बहरी (गुलाबसागर द्वितीय चरण)	सीधी	7425	निविदा प्रक्रियाधीन
3	परकुल परियोजना	सागर	3200	निविदा प्रक्रियाधीन
4	गोपालपुरा नहर परियोजना	सागर	6114	निर्माणाधीन
5	रुन्ज परियोजना	पन्ना	9800	वन प्रकरण तैयार किया जा रहा है।
6	पतने परियोजना	पन्ना	9340	वन प्रकरण तैयार किया जा रहा है।
7	मुरकी परियोजना	डिण्डोरी	2350	प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त

3.1.2.3 चिन्हित मध्यम परियोजनाएं:

स.क्र.	योजना का नाम	जिला	स.क्र.	योजना का नाम	जिला
1	कडान परियोजना	सागर	10	मल्हारगढ	गुना
2	कैथ परियोजना	सागर	11	गढा	बैतूल
3	जेरा परियोजना	सागर	12	टेम परियोजना	विदिशा
4	जूड़ी परियोजना	दमोह	13	जूड़ी परियोजना	सागर
5	साजली परियोजना	दमोह	14	आसन बैराज	मुरैना
6	मुंझरी परियोजना	श्योपुर	15	छीताखुदरी	जबलपुर
7	सतधारु परियोजना	दमोह	16	संधारा परियोजना	दमोह
8	करंजिया परियोजना	सागर	17	बटियागढ	दमोह
9	खरमेर परियोजना	डिण्डोरी	18	बरखेड़ा	धार
			19	कारम	धार

3.1.3 लघु सिंचाई योजनाएं:

3.1.3.1प्रदेश में 211 लघु परियोजनाएं संचालित हैं । वर्ष 2015–16 में जनवरी 2016 तक 99 लघु सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं । निर्माणाधीन लघु सिंचाई परियोजनाओं की जिलेवार संख्या निम्नानुसार है :–

स. क	जिला	परियोजनाओं की संख्या	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	लागत रूपये लाख में
1	मुरैना	01	700	893.00
2	शिवपुरी	01	1495	2703.81
3	अशोकनगर	02	1749	3393.00
4	भोपाल	01	1990	4458.22
5	गुना	02	2115	3651.95
6	रायसेन	01	1989	3673.29
7	राजगढ	05	4981	13156.94
8	दतिया	01	1049	602.21
9	विदिशा	06	10744	8588.25
10	बैतूल	08	5622	11436.56
11	अलीराजपुर	14	3505	5789.64
12	आगर मालवा	01	1816	2499.65
13	बड़वानी	12	7143	12247.55
14	बुरहानपुर	09	4820	8643.95
15	देवास	02	310	333.32
16	धार	05	3115	5071.18
17	इंदौर	02	600	1109.88
18	झाबुआ	16	7960	12243.02
19	खरगौन	01	2640	4914.00
20	मंदसौर	02	2218	1616.91
21	रतलाम	05	2311	7012.37

स.क	जिला	परियोजनाओं की संख्या	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	लागत रूपये लाख में
22	शाजापुर	05	3106	4025.61
23	बालाघाट	05	1002	2025.36
24	छिंदवाड़ा	06	8066	16729.71
25	डिंडोरी	08	2692	4643.41
26	जबलपुर	02	428	941.99
27	कटनी	01	192	636.26
28	मंडला	02	587	1139.93
29	नरसिंहपुर	01	500	800.20
30	सिवनी	04	6184	10699.11
31	छतरपुर	03	895	1482.91
32	दमोह	04	1427	2348.32
33	पन्ना	29	23903	42132.11
34	सागर	10	10968	18745.23
35	टीकमगढ	07	6483	12192.25
36	अनुपपुर	03	1010	2043.47
37	रीवा	04	2415	4127.46
38	सतना	05	4314	6763.47
39	शहडोल	06	2119	4966.40
40	सिंगरौली	01	243	479.61
41	उमरिया	07	4827	7796.02
42	उज्जैन	01	490	618.53
	कुल योग	**211**	**150723**	**259376.06**

3.2 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" लागू की गई है। ए.आई.बी.पी. एवं कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अंश बना दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक निम्नानुसार है :–

1. ए.आई.बी.पी।
2. हर खेत को पानी।
3. पर ड्रॉप मोर क्रॉप।
4. जलग्रहण क्षेत्र विकास।

3.3 कमाण्ड क्षेत्र विकास:

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 21 परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम क्रियान्वयन के तहत 10.05 लाख हेक्टर कमाण्ड क्षेत्र के विरुद्ध मार्च–2015 तक 3.73 लाख हेक्टर में वाटर कोर्स/फील्ड चैनल निर्माण कार्य कराया जा चुका है। स्वीकृत 21 परियोजनाओं में से बाघ परियोजना एवं कुंवरचैन सागर परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के 0.71 लाख हेक्टर कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई नालियों का निर्माण किया गया, जबकि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 2012–13 से वर्ष 2014–15 तक 1.55 लाख हेक्टर एवं वर्ष 2015–16 में 57229 हेक्टर लक्ष्य के विरुद्ध 48500 हेक्टर कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई नालियों का निर्माण किया जा चुका है। परियोजनाओं के कमांड में फील्ड चैनल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में परियोजनावार लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ निम्नानुसार है :–

(राशि लाख में क्षेत्र हे. में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	सी.सी.ए. (हेक्टर)	लागत	लक्ष्य (हेक्टर)	उपलब्धि 12/2015 तक	वर्ष 2015–16 हेतु प्राप्त केन्द्रांश
1.	कोलार	45087	8400.00	2759	4000	264.050
2.	वैनगंगा	112900	16729.34	26	212	–
3.	रानी अवंतीबाई लोधी सागर	157000	31162.40	2406	1810	359.901
4.	राजघाट नहर	164789	38936.28	15239	17698	3228.910
5.	बरियारपुर	38990	8541.60	2286	2105	–
6.	कुवंरचैन सागर	3700	554.76	–	पूर्ण	26.990
7.	हरसी	62675	15894.77	2126	कार्य प्रगति पर है	–
8.	बाघ	16600	2889.15	–	पूर्ण	–

9.	बाण सागर परियोजना	154687	59146.30	11429	12189	–
10.	सिंध वृहद परियोजना (फेस– I I)	98250	39408.83	2858	6186	–
11.	रेहटी मध्यम परियोजना	2194	825.68	1429	कार्य प्रगति पर है	–
12.	सिंहपुर परियोजना	6000	2255.00	1429	कार्य प्रगति पर है	–
13.	महान वृहद परियोजना	16150	6056.33	1905	1400	–
14.	बघर्रु मध्यम परियोजना	2250	846.51	1429	कार्य प्रगति पर है	–
15.	कछाल मध्यम परियोजना	3476	1304.87	1429	600	–
16.	संजय सागर (बाह) परियोजना	9893	3705.64	1429	कार्य प्रगति पर हैं	–
17.	महुअर मध्यम परियोजना	9500	3567.20	1429	कार्य प्रगति पर है	121.730
18.	सगड़ मध्यम परियोजना	9478	3551.22	1429	कार्य प्रगति पर है	123.700
19.	पेंच डायवर्सन परियोजना	70918	26568.03	1905	कार्य प्रगति पर है	141.165
20.	बिलगांव मध्यम परियोजना	9262	3470.34	1429	कार्य प्रगति पर है	129.352
21.	थांवर वृहद परियोजना	11105	4759.66	2858	2300	–
	योग :–	**1004904**	**278573.91**	**57229**	**48500**	**4395.798**

3.4 विश्व बैंक पोषित राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना

उद्देश्य :

जल विज्ञान परियोजना का प्रमुख उद्देश्य एक व्यापक, विश्वसनीय आसानी से सुलभ उपयोगकर्ताओं के अनुकूल सतत एवं प्रवाह जल विज्ञान सूचना प्रणाली तंत्र विकसित करना है। जल विज्ञान सूचना प्रणाली तंत्र के विकास में भौतिक संरचना और मानव संसाधनों के द्वारा जल संसाधन के ऑकड़ों को एकत्रित करना, संग्रहित करना तथा उनका विश्लेषण कर जानकारी का प्रसार करना सम्मिलित है।

जल विज्ञान परियोजना प्रथम चरण:

जल विज्ञान परियेाजना प्रथम चरण का कार्य क्षेत्र वैनगंगा, माही, एवं ताप्ती कछार के क्षेत्रफल में था । इसकी अवधि वर्ष 1995 से दिसम्बर 2003 तक थी । इसके अंतर्गत वर्षामापी स्थल, गेज डिस्चार्ज स्थल, पूर्ण मौसम केन्द्र, सेडिमेंन्ट्री सर्वे मापन कार्य, सिल्ट प्रयोगशाला एवं जल गुणवत्ता प्रयोगशालायें नवीन तकनीक के अनुसार स्थापित कर उन्नत करने का कार्य एवं स्थापित उपकरणो से प्राप्त आंकड़ो का प्रमाणीकरण एवं विश्लेषण का कार्य किया गया ।

जल विज्ञान परियोजना द्वितीय चरण:

जल विज्ञान परियोजना द्वितीय चरण का कार्य अप्रैल 2006 में प्रारंभ किया गया। योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य मई 2014 निर्धारित किया गया है। योजना की कुल लागत रू. 14.90 करोड़ है । जल विज्ञान परियोजना द्वितीय चरण में 12/2014 तक राशि रू 12. 78 करोड़ का व्यय किया जा चुका है ।

जल विज्ञान परियोजना तृतीय चरण:

केन्द्रीय वित मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जल विज्ञान परियोजना तृतीय चरण को बाह्य वित पोषित परियोजना में सम्मिलित किया गया है। परियोजना की कुल लागत 3640 करोड़ है। जिसमे से मध्यप्रदेश राज्य के लिये 90 करोड़ की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। विभाग द्वारा भेजे गये प्रस्ताव में घटक वार राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	घटक	राशि रू. करोड़ में
A	जल संसाधन निगरानी प्रणाली में सुधार (Improving Water Resources Maonitoring System WRMS)	66.81
B	जल संसाधन सूचना प्रणाली में सुधार (Improving Water Resources Information System WRIS)	2.56
C	जल संसाधन प्रबंधन अनुप्रयोग (Water Resources Management Applications WRMA)	5.74
D	संस्थागत सुधार एवं क्षमता विकास (Improving Institutional and Capacity Building)	15.10
	योग	**90.21**

3.5 नाबार्ड ऋण सहायता प्राप्त योजनाएं :–

नाबार्ड ऋण सहायता अंर्तगत निर्माणाधीन एवं स्वीकृत योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	चरण	लागत (लाख)	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	कुल निवेश (लाख रु.)
सत्रहवें चरण में स्वीकृत परियोजनायें						
1	सीप कोलार	सीहोर	सत्रहवॉ	14088.13	7540	3855.33
अठारहवे चरण में स्वीकृत परियोजनायें						
1	सेमरी	रायसेन	अठहरवॉ	11090.82	5700	8434.42
2	कीटखेडी	शाजापुर	अठहरवॉ	6647.00	3480	6210.46
3	ठिकारिया	नीमच	अठहरवॉ	12746.45	7000	7833.65
उन्नीसवें चरण में स्वीकृत परियोजनायें						
1	दातुनी	देवास	उन्नीसवॉ	17455	8800	7833.65
2	बारना	रायसेन	उन्नीसवॉ	58100	10000	7249.91
3	अपर तिलवारा	सिवनी	उन्नीसवॉ	12002	7950	468.99
इक्कीसवें चरण में स्वीकृत परियोजनायें						
1	मोहनपुरा बहुउद्देशीय वृहद् परियोजना	राजगढ़	इक्कीसवॉ	124075.70	65000	8830.35
नाबार्ड ऋण सहायता प्राप्त ए.आई.बी.पी. परियोजनाये						
1	सिंध फेस–।। वृहद परि.	शिवपुरी	चौदहवॉ	200220	162100	83461.11
2	पेंच डायवर्सन परियोजना यूनिट–।	छिन्दवाड़ा	सोलहवॉ	63110.34	89378	63507.62
3	पेंच डायर्सन यूनिट–।।	छिन्दवाड़ा	सत्रहवॉ	56406.03	89378	38995.68

3.6 विश्व बैंक सहायता प्राप्त म. प्र. वॉटर सेक्टर री–स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट :

जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई तंत्र में आवश्यकतानुसार सामयिक सुधार, कुशल प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन के लिये प्रदेश के छः नदी कछारों यथा चम्बल, बेतवा, केन, टोन्स सिंध एवं वैनगंगा के 26 जिलों की वर्ष 1986 के पूर्व निर्मित 228 सिंचाई प्रणालियों के पुनर्रुद्धार आधुनिकीकरण के लिये मध्यप्रदेश वाटर सेक्टर री–स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत विश्व बैंक से 387.4 मिलियन यू.एस. डालर का ऋण प्राप्त किया गया। परियोजना का उद्देश्य सिंचाई तंत्र में आवश्यक सुधार कर खोये हुए सिंचाई क्षमता की पुनर्प्राप्ति करना एवं जल की उत्पादकता में वृद्धि करना था जिससे नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुँच सके। परियोजना जून 2015 में पूर्ण की गई तथा अक्टूबर 2015 तक विश्व बैंक से 100% वित्तीय प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी। इस परियोजना में जल संसाधन, कृषि, उद्यानिकी, मत्स्यपालन, पशुपालन विभागों तथा कृषि विश्वविद्यालय – जबलपुर एवं ग्वालियर की एकीकृत भागीदारी रही। रु. 2498 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के विरुद्ध परियोजना के अंतर्गत कुल रु. 2473 करोड़ व्यय हुआ। परियोजना की उपलब्धि मापने के लिये "थर्ड पार्टी इम्पैक्ट असेसमेंट" अध्ययन कराये गये एवं विश्व बैंक दल द्वारा भी प्रभाव ऑकलन तथा विश्लेषण किया गया है । प्रभाव ऑकलन के आधार पर परियोजना की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :–

1. 228 योजनाओं में परियोजना पूर्व रबी का सिंचित क्षेत्रफल 2,42,277 हेक्टर था जो बढ़कर (रबी 2014–15 में) 5,96,750 हेक्टर हुआ है । रबी वर्ष 2015–16 में अल्प–वर्षा की स्थिति में भी जनवरी 2016 तक 6,35,074 हेक्टर रकबे में सिंचाई प्रदाय की गयी है ।

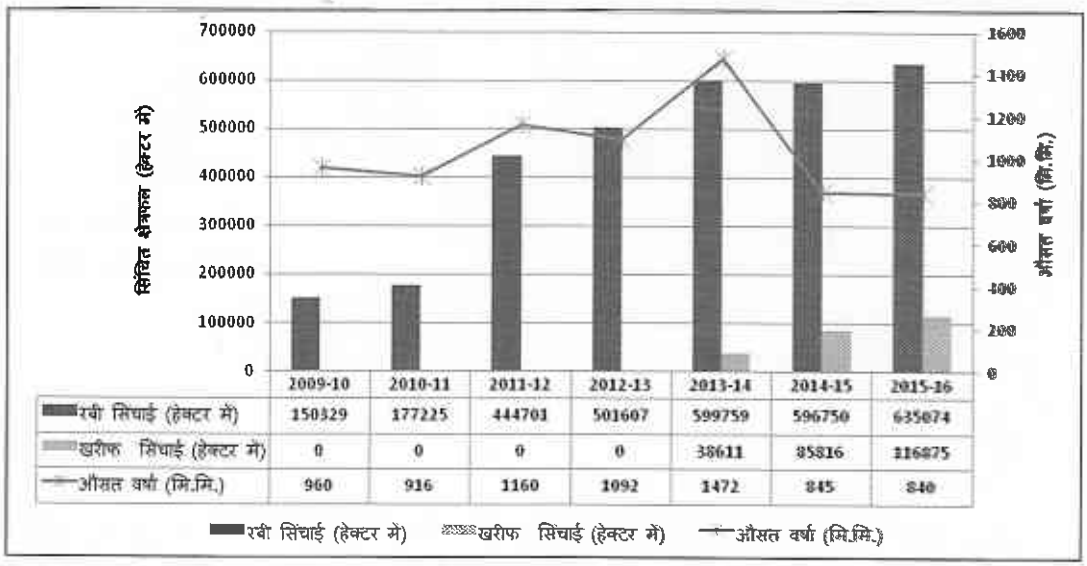

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
रबी सिंचाई (हेक्टर में)	150329	177225	444701	501607	599759	596750	635074
खरीफ सिंचाई (हेक्टर में)	0	0	0	0	38611	85816	116075
औसत वर्षा (मि.मि.)	960	916	1160	1092	1472	845	840

रबी सिंचाई (हेक्टर में) खरीफ सिंचाई (हेक्टर में) औसत वर्षा (मि.मि.)

2. लक्षित सी.सी.ए. 4,95,000 हेक्टर के विरुद्ध सी.सी.ए. 6,50,934 हेक्टर में कार्य पूर्ण किया गया।

3. जहां निर्मित सिंचाई क्षमता के लगभग 25% रकबे में ही सिंचाई हो पा रही थी, वहां रबी वर्ष 2014–15 में 92% रकबे में सिंचाई उपलब्ध हुई है। रबी वर्ष 2015–16 में निर्मित सिंचाई क्षमता का 98% उपयोग हुआ है।

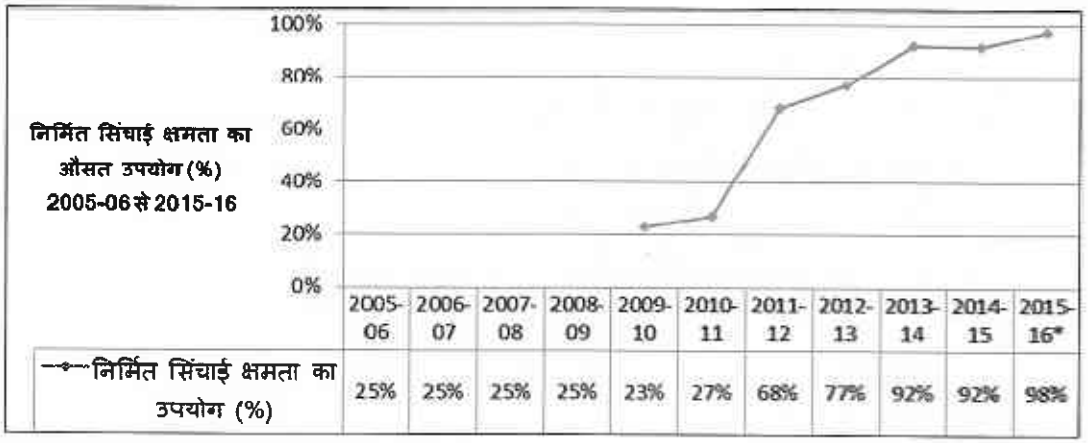

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16*
निर्मित सिंचाई क्षमता का उपयोग (%)	25%	25%	25%	25%	23%	27%	68%	77%	92%	92%	98%

4. औसत कृषि आय रु. 5000/– प्रति हेक्टर से बढ़कर रु. 22,674/– प्रति हेक्टर हुई है।

5. गेंहू के फसल के लिये जल की उत्पादकता 0.40 कि.ग्रा. प्रति घनमीटर जल से बढ़कर 0.78 कि.ग्रा. प्रति घनमीटर हुई है।

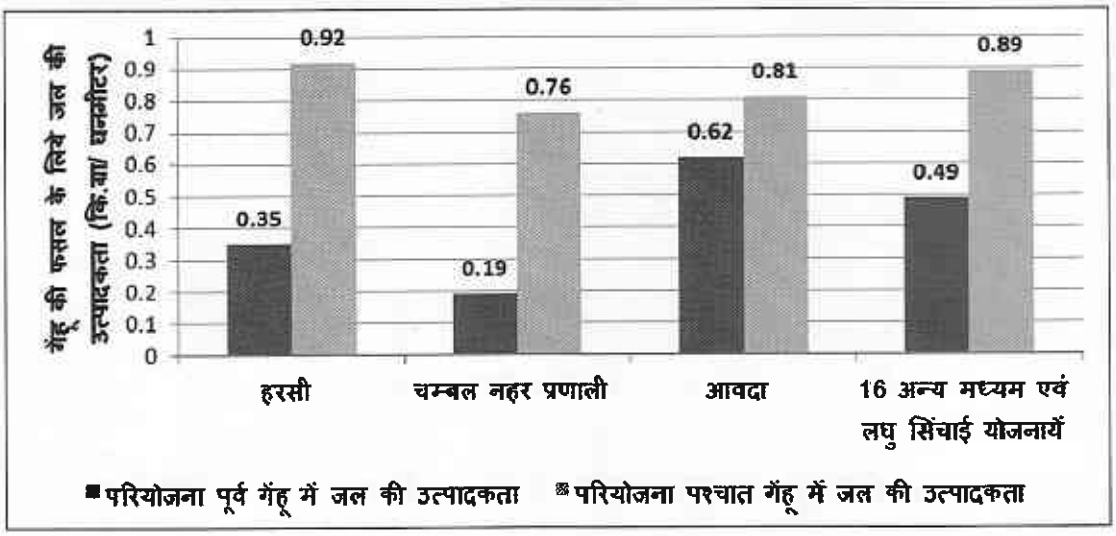

6. 170 जलाशयों में मत्स्य उत्पादकता 10–20 कि.ग्रा. प्रति हेक्टर थी जो अब औसत 114 कि.ग्रा. प्रति हेक्टर हो गयी है ।

3.7 विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना डेम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (DRIP)

राज्य में सिंचाई, जल प्रदाय, विद्युत उत्पादन तथा अन्य लाभों के लिए जल संसाधनों के भंडारण हेतु बहुत से बांधों का निर्माण किया गया है । ICOLD (International Commission on Large Dams) के मापदंड अनुसार म.प्र. के 906 बांध, बड़े बांधों की श्रेणी में आते हैं । भारत सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से देश के चार राज्यों, मध्यप्रदेश, केरल, उड़ीसा एवं तमिलनाडु के 223 बांधों के सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु **डेम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (ड्रिप) परियोजना** प्रारंभ की है। परियोजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैः–

(अ) राज्य बांध सुरक्षा संगठन के संस्थागत ढांचे का सुदृढ़ीकरण ।

(ब) बांध सुरक्षा की आधार भूत सुविधाऐं उपलब्ध कराना ।

(स) बांधो के उन्नयनीकरण एवं सुधारात्मक कार्य करवाना ।

ड्रिप में प्रदेश के 29 बांधों का चयन अंतिम रूप से किया गया है । सभी 29 बांधो की हाईड्रोलॉजी, केन्द्रीय जल आयोग एवं बोधी द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। वर्तमान में 22 बांधों के सुधार कार्य प्रगति पर है। ड्रिप अन्तर्गत मार्च 2015 तक रू. 37.63 करोड़ तथा वर्ष 2015–16 में दिसम्बर 2015 तक रू. 24.98 करोड़ व्यय किये गये हैं ।

3.8 बुन्देलखण्ड क्षेत्र विशेष पैकेज

बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रदेश के सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ एवं दतिया जिले हैं । इस क्षेत्र के विकास के लिये भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2010 में राशि रु. 1118 करोड़ का प्रथम चरण एवं वर्ष 2014 में राशि रु. 700 करोड़ का द्वितीय चरण में विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया है। प्रथम चरण में राशि रु. 993.69 करोड़ एवं द्वितीय चरण में राशि रु. 183.67 करोड़ निवेश की जा चुकी है।

प्रथम चरण :–

स. क्र.	घटक	स्वीकृत राशि रू. करोड़	संख्या	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	2015 में रबी सिंचाई (हेक्टर में)	प्रगति
1	बरियारपुर परियोजना का निर्माण	176	01	43323	40050	कुटनी बॉध पूर्ण। नहर 98 प्रतिशत।
2	सिंहपुर बैराज का निर्माण	100	01	9900	2500	शीर्ष कार्य 90 प्रतिशत। नहर कार्य 86 प्रतिशत।
3	निर्माणाधीन लघु सिंचाई परियोजनायें	125	49	18236	16464	पूर्ण।
4	नवीन लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण	467	97	33733	26502	90 योजनाएं पूर्ण। 7 प्रगतिरत।
5	उर्मिल एवं रनगवां परियोजना की नहरों की क्षमता का पुर्नस्थापन	150	02	24391	5200	पूर्ण।
6	राजघाट कमांड क्षेत्र का विकास	100	01	26624	16500	प्रगतिरत।

द्वितीय चरण :–

स.क्र.	घटक	स्वीकृत राशि रू. करोड़	संख्या	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	प्रगति
1	पंचमनगर मध्यम परियोजना	184.17	01	12600	निर्माणाधीन
2	सोनपुर मध्यम परियोजना	89.22	01	7000	निर्माणाधीन
3	पवई मध्यम परियोजना	183.08	01	9952	निर्माणाधीन
4	लघु सिंचाई योजनायें	203.53	21	11081	6 योजनाएं पूर्ण
5	कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्य	40.00	01	35000	निर्माणाधीन

निर्माणाधीन वृहद बानसुजारा बाँध परि. (जिला–टीकमगढ़)

अध्याय – चार
सिंचाई एवं राजस्व

4.1 सिंचाई

वर्ष 2009 तक जल संसाधन विभाग ने अपनी परियोजनाओं से 9 लाख हेक्टर क्षेत्र से ज्यादा सिंचाई कभी भी नहीं की। वर्ष 2015–16 में 15 फरवरी 2016 तक 24.35 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की गई जबकि विगत वर्ष 2014–15 में 23.92 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की गई थी। रबी सिंचाई के लिए वर्षाकाल पूर्व से ही योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया। सिंचाई परियोजनाओं में कमजोर हिस्सों को मैदानी अधिकारियों की बैठक लेकर चिन्हित किया गया और इन हिस्सों में किए जाने वाले कार्यों का आंकलन किया गया। जो कार्य ठेके से हो सकते थे उन्हें ठेके से तथा जो ठेके से कम समय में संभव नहीं थे उन्हें विभागीय तौर पर कराया गया । इसमें विभागीय विद्युत यांत्रिकी अमले को भी शामिल किया गया। इस कार्य में उपलब्ध विभागीय मशीनों का उपयोग कर नहरों की सफाई, सिल्ट निकालने, बैडग्रेड बनाने, अधूरी नहरों को पूर्ण करने एवं नहरों से अवरोध हटाने का कार्य किया गया। इस कार्य को अधिक गति देने एवं वर्षा पूर्व पूर्ण करने के लिए आवश्यकतानुसार किराए पर भारी मशीनें लगाई गईं। जिन तालाबों में स्लूस गेट से लीकेज होता था अथवा अन्य कारणों से लीकेज से जल अपव्यय होता था, उन्हें चिन्हित कर ठीक किया गया । अधिकांश तैयारियां वर्षा आने के पूर्व कर ली गई।

वर्षाकाल में सभी जलाशयों में जल का नियमन इस प्रकार किया गया कि भण्डारण अधिकतम रहे। इसके लिए बड़े/मध्यम जलाशयों में जल स्तर की सतत् मॉनिटरिंग 'एस.एम.एस. बेस्ड रिजरवायर लेवल मानिटरिंग सिस्टम' के उपयोग से की गई। प्रतिदिन वर्षा जल भराव बिना किसी खतरे के अधिकतम हो सके इसके लिए जलद्वारों को समय समय पर खोलकर जल बहाव को नियंत्रित किया गया।

25 सितम्बर की स्थिति में राज्य के सभी जलाशयों में जल भराव की मात्रा को कम्प्यूटर पर ऑनलाईन दर्ज करने की व्यवस्था कर अमल में लाया गया। उपलब्ध जल के आधार पर हर परियोजना का रबी सिंचाई लक्ष्य मैदानी अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया गया। विभाग की वेबसाइट पर 'इरिगेशन मानिटरिंग सिस्टम' में इन लक्ष्यों को दर्ज किया गया तथा की गई सिंचाई के आंकड़ों की इस सिस्टम में पाक्षिक प्रविष्टी की व्यवस्था बनाई गई। वीडियो कान्फ्रेस तथा वरिष्ठ अधिकारियों के दौरों से पूरे रबी सत्र में सिंचाई की सतत् मानिटरिंग की गई।

उपरोक्तानुसार रणनीति में विभाग के सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों ने एक टीम बनकर कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप 15 फरवरी 2016 तक 24.35 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकी। इस वर्ष प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा हुई। माह अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर में तापमान सामान्य से अधिक रहा, जिससे रबी फसलों की सिंचाई में पानी की खपत 10 प्रतिशत से भी अधिक रही। इसके बावजूद गतवर्ष से अधिक सिंचाई की गई। यह उपलब्धि सतत् अनुश्रवण, कुशल जल प्रबन्धन के कारण संभव हो सकी।

कछारवार सिंचाई

(सिंचाई हेक्टेयर में)

सं. क्र.	मुख्य अभियंता	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16 (फरवरी–2016 तक)
अ.	रबी सिंचाई					
1	चम्बल बेतवा कछार	167502	234153	285868	311853	346786
2	धसान केन कछार	121434	178525	213723	205150	133944
3	गंगा कछार	124599	179935	212123	235308	208806
4	नर्मदा ताप्ती कछार	200707	253330	361152	355646	419468
5	होशंगाबाद	340239	379350	400128	409440	420918
6	राजघाटनहर परियोजना	203217	238816	247020	261265	268777
7	वैनगंगा कछार	122407	156640	185416	175286	160362
8	यमुना कछार	354786	399912	424926	438084	476392
	रबी सिंचाई योग	**1634891**	**2020661**	**2330356**	**2392032**	**2435453**
ब.	**खरीफ सिंचाई**	0	0	216006	216966	305716
स.	**वार्षिक सिंचाई**			**2546362**	**2608998**	**2741169**

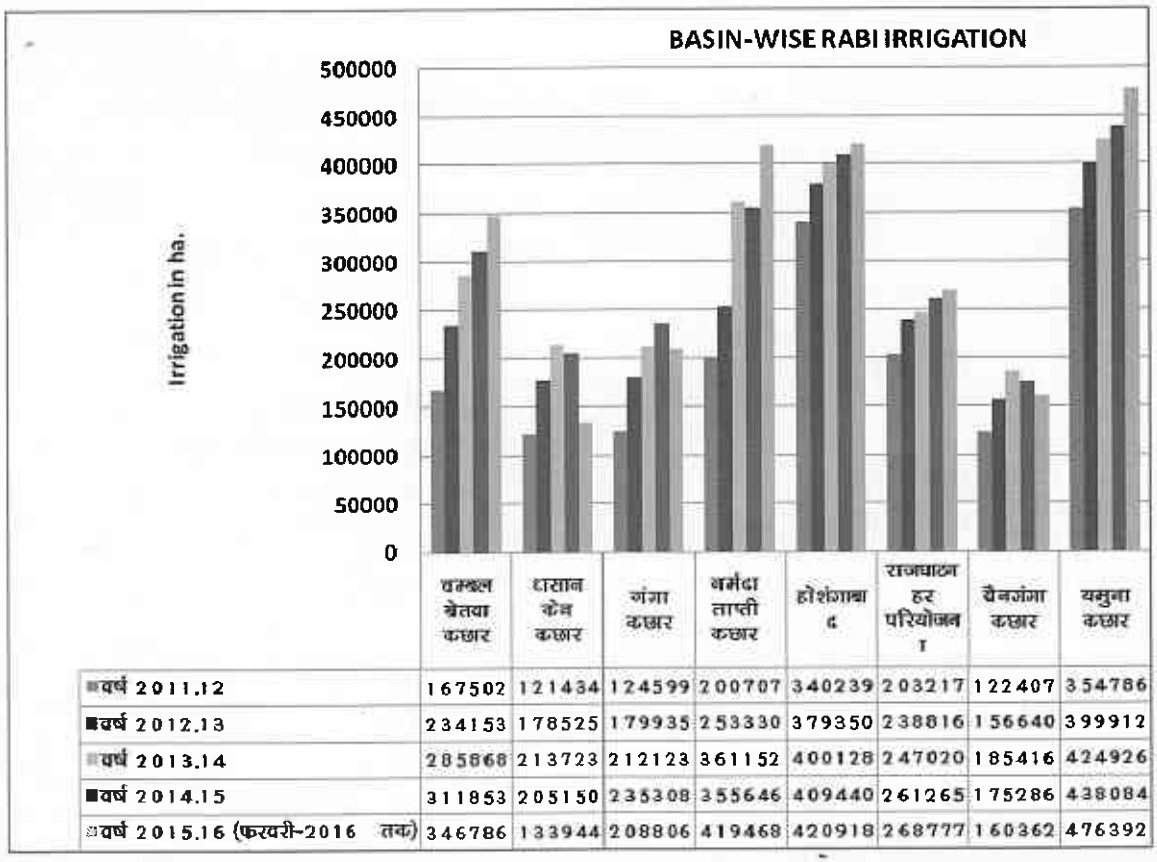

4.2 राजस्व

राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है जिसमें सिंचाई का विशेष महत्व है। इस हेतु राज्य में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण वर्तमान में भी वृहद स्तर पर किया जा रहा है । इन बॉधों व्दारा संग्रहित जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल, विद्युत उत्पादन एवं औद्योगिक क्षेत्रों हेतु किया जाता है। मध्यप्रदेश शासन के सिंचाई अधिनियम 1931 की धारा 26 "ए' के अंतर्गत जल पर शासन का अधिकार है । 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार जल दरों का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे परियोजनाओं की रख–रखाव की पूर्ण राशि जल कर से प्राप्त हो सके एवं यह भी ध्यान रखा जावें कि इस प्रक्रिया से कृषकों पर अत्यधिक वित्तीय भार न पड़े । वर्तमान में कृषि उत्पादन के लिए प्रदाय किये जाने वाले जल की राजस्व दरें, बांध एवं नहरों के निर्माण एवं रखरखाव लागत की तुलना में अत्यन्त ही कम रखी गई हैं। कृषक यदि किसी अन्य स्रोत से जल प्राप्त करते है तो उन्हें विभाग के द्वारा निर्धारित राजस्व राशि से कम से कम 8 गुना से अधिक राशि देना होगी। पिछले वर्षों में सिंचाई परियोजनाओं की निर्माण लागत में अत्यधिक वृध्दि हुई है, लेकिन कृषि के लिए प्रदाय किये जाने वाले पानी की दरों में वर्ष दिसंबर, 2005 से कोई वृध्दि नहीं की गई है। पेयजल दर में भी वर्ष 2000 से कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह इस बात का द्योतक है कि शासन द्वारा कृषि एवं पेयजल के लिए दिये जा रहे पानी हेतु लिया लाने वाला जल शुल्क न्यूनतम है एवं प्रतीकात्मक ही है।

4.2.1 मध्यप्रदेश में सिंचाई संकर्मो से कृषि प्रयोजनों के लिये जल प्रदाय हेतु जल दर की अनुसूची

(प्रवाह एवं उद्वहन सिंचाई)

क्रमांक	फसलों का नाम	जल कर रू. (प्रति हेक्टर में)
1	धान–खरीफ (प्रत्येक बार पानी)	85
2	हरी घास वाली फसलें– मूंगफली (खरीफ), ज्वार, मूंग (खरीफ), सोयाबीन (खरीफ), तिल, तुअर, उड़द	50
3	कपास (प्रत्येक बार पानी)	70
4	धान–रबी (प्रत्येक बार पानी)	155
5	गेंहूं 1. पलेवा 2. प्रत्येक बार अतिरिक्त पानी पर	 125 75
6	चना (प्रत्येक बार पानी)	75
7	धनिया,मूंगफली, (रबी), मूंग (रबी) सरसों, कुसुम, सूरजमुखी, सोयाबीन,(रबी) तुअर, (रबी) (प्रत्येक बार पानी)	75
8	जौं, बैगन, गाजर, गोभी, मिर्च, ककड़ी, घुंइया, मेथी, अदरक, लहसुन, ग्वारफली, भिण्डी, शहतूत, मटर, खसखस, कद्दू, आलू, मूली, पालक, तम्बाकू, टमाटर, हल्दी, तरबूज, हरी सब्जियां	630
9	बरसीम घांस (फोडर क्राप)	480
10	केले, पान, उद्यान फसलें, रबर के पौधे, गन्ना	960
11	जमीन तैयार करने के लिए जल (पलेवा) अ– खरीफ ब– रबी	 125 125
12	ऊपर वर्णित फसलों के अतिरिक्त अन्य फसलों की सुरक्षा के लिए प्रदाय किये गये प्रत्येक बार पानी	50

4.2.2 पेयजल के लिए जल दरः

शासन ने पत्र क्रं. 29/31/99/म/31/83 दिनांक 14 जनवरी 2000 द्वारा अधिसूचना जारी कर निगम और नगरो के जल आपूर्ति की दरों को अतिष्ठित करते हुए नगरीय निकायों एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा घरेलू उपयोग के लिए विभाग द्वारा निर्मित जल स्त्रोतों से जल प्रदाय की दर 20 पैसे प्रति हजार लीटर (प्रति घन मीटर) निर्धारित की है । उक्त दर 1/4/2000 से प्रभावशील है एवं इसमें प्रति वर्ष 2 पैसे (दो पैसे) की वृद्वि होगी।

4.2.3 औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल दरः

शासन के आदेश क्रमांक 18/1/91/मध्यम/31/797 दिनांक 30/11/2010 द्वारा दिनांक 01.01.2010 से 01.01.2013 तक अन्य विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल दरों का निर्धारण किया गया जिसके अनुसार 01.01.13 से दरें निम्नानुसार हैः–

क्र.	जल स्त्रोत	जल कर रू. (प्रति हेक्टर में)
अ	**शासकीय स्त्रोतों से** (यथा जलाशय, नहर, नलकूप आदि)	5.50 रु प्रति घनमीटर
ब.	नैसर्गिक स्त्रोत यथा नदी, झील या अन्य प्राकृतिक संग्रह स्त्रोत से या उद्योग द्वारा स्वनिर्मित बांध के जलाशय से –	
	1. स्वयं के व्यय से बांध आदि स्ट्रक्चर्स का निर्माण कर जल भण्डार किया/कराया जाने की दशा में।	1.55 रू. प्रति घनमीटर
	2. नैसर्गिक जल स्त्रोत से सीधे जल लिये जाने की दशा में	1.55 रू. प्रति घनमीटर
	शासकीय जल भण्डारण परियोजनाओं यथा बांध, नहर,बैराज आदि से **जल विद्युत परियोजनाओं** की जेनेरिटिंग इकाईयों को प्रदाय किए जाने वाला जल से, जल के उपयोग के पश्चात जल की पुनर्प्राप्ति उदाहरणार्थ जल विद्युत परियोजना।	20 पैसे प्रति विद्युत इकाई (किलोवाट घंटा) दर दिनांक 1.1.10 से इसके उपरांत प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी से 02 पैसा प्रति वर्ष की वृद्वि।
	नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्त्रोत से जल के उपयोग के पश्चात् जल की पुर्नप्राप्ति उदाहरणार्थ जल विद्युत् परियोजना।	05 पैसे प्रति विद्युत इकाई (प्रति किलोवाट/घंटा उत्पादन दिनांक 1.10.2010 से एवं प्रति विद्युत इकाई (प्रति किलोवाट घंटा) 1.0 पैसा प्रति वर्ष की वृद्वि।

4.3 प्रयोजनवार जल राजस्व वसूली की स्थिति

(राशि रूपये करोड में)

स. क्र.	वर्ष	कृषि सिंचाई		पेयजल		उद्योग		म.प्र.रा.वि.मंडल		अन्य		कुल योग	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2011–12	48.67	20.11	12.90	16.66	141.18	145.82	20.60	40.68	6.65	7.94	230.00	231.21
2	2012–13	67.20	30.48	21.50	2.65	240.20	242.13	62.00	9.34	9.10	33.61	400.00	318.21
3	2013–14	59.75	25.26	21.46	2.76	235.50	147.01	24.19	53.03	9.10	14.23	350.00	242.30
4	2014–15	61.00	22.74	18.40	0.94	234.00	132.50	26.40	19.50	10.20	21.70	350.00	197.37
5	2015–16 दिस.तक	74.33	18.54	36.02	1.70	296.12	134.13	42.61	31.46	50.92	18.70	500.00	204.554

अध्याय – पाँच
विभाग की महत्वपूर्ण संरचनाएं

5.1 बाँध सुरक्षा संगठन–

बॉध सुरक्षा संगठन का मुख्य कार्य सुरक्षा की दृष्टि से बॉधों का निरीक्षण कर बॉधों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना एवं तदनुसार बॉधों को सुधारने के लिये तकनीकी सुझाव देना है। बॉधों के सुधारों की प्राथमिकता निर्धारण करने के लिए एक राज्य स्तरीय बॉध सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष, सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश एवं संबंधित कछारीय परियोजना के मुख्य अभियंता, सदस्य तथा संचालक, बॉध सुरक्षा उसके सचिव नियुक्त किए गए हैं।

5.1.1 बॉध सुरक्षा संगठन के मुख्य कार्य :–

- बॉध सुरक्षा के संबंध में राज्य द्वारा प्रसारित कार्यकारी आदेशों पर अनुवर्ती कार्यवाही।
- राज्य स्तर पर बॉधों की डाटा बुक तैयार करना तथा तकनीकी दस्तावेज के लिये डाटा बैंक के रूप में कार्य करना।
- वर्षा पूर्व एवं वर्षा उपरांत बॉधों के निरीक्षण प्रतिवेदनों की परिवीक्षा करना तथा इनके आधार पर बांधों की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन तैयार करना।
- समस्त बड़े बांधों का निरीक्षण किया जाकर इस संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही के लिए अनुशंसा करना।
- बड़े बॉधों, जिनकी ऊंचाई 15 मी. से अधिक या जल क्षमता 60 मि. घन मी. या अधिक है, का स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण किया जाना।
- निर्माणाधीन समस्त बड़े बांधों के रूपांकन, पुनर्विलोकन एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। संपूर्ण बड़े बांधों के पूर्णता प्रतिवेदन जिसमें रूपांकन, निर्माण तथा रूपांकन से संबंधित आंकड़ों का समावेश हो, की परिवीक्षा करना।
- बड़े बॉधों में लगाये गये उपकरणों के आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण करना।
- राज्य के समस्त बड़े बांधों की स्थिति को केन्द्रीय जल आयोग के बांध सुरक्षा संगठन को प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।
- आपातकालीन योजना की तैयारी करना तथा इस संबंध में पथ प्रदर्शन करना।
- बांध सुरक्षा संचालनालय तथा राज्य के लिए बांध सुरक्षा से संबंधित सुरक्षा निगरानी की प्रक्रिया, निरीक्षण, गुणवत्ता, नियंत्रण, रख–रखाव, संचालन तथा आपात कालीन कार्य योजना तैयार करने आदि विषयों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

5.2 संचालक, पी.आई.एम.

5.2.1 मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी

देश में मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश के बाद दूसरा राज्य है जहां सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत कृषक संगठनों को कार्य करने हेतु स्वतंत्र एवं वैधानिक रुप से अधिकृत किया गया है।

वर्ष 2011–12 में जल उपभोक्ता संथाओं की प्रबंध समिति अध्यक्ष और सदस्यों के लिए तृतीय निर्वाचन कराए गए। वर्तमान में 2062 जल उपभोक्ता संथाओं के माध्यम से 20 लाख हेक्टर कमांड क्षेत्र के सिंचाई प्रबंधन का कार्य सहभागिता से किया जा रहा है।

जल उपभोक्ता संथाओं के अध्यक्षों एवं सक्षम प्राधिकारियों को वाल्मी भोपाल में प्रशिक्षण दिया जाता है एवं लगभग 80 प्रतिशत संथा एवं सक्षम अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

5.2.2 विभिन्न परियोजनावार गठित जल उपभोक्ता सस्थाओं की संख्या एवं कमांड क्षेत्र

क्र.	योजना का प्रकार	जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	कमांड क्षेत्र (लाख हेक्ट.)
1	वृहद परियोजनाएं	692	11.07
2	मध्यम परियोजनाएं	217	2.34
3	लघु परियोजनाएं	1158	6.54
	योग	2067	19.95

5.3 सिंचाई अनुसंधान संचालनालय भोपालः–

जल संसाधन विभाग प्रदेश में सतही एवं भूमिगत जल स्त्रोतों के निर्माण एवं रखरखाव में सतत् कार्यरत है। विभाग के अधीन सिंचाई अनुसंधान संचालनालय का गठन वर्ष 1964 में किया गया। इसके अंतर्गत भोपाल (हथाईखेड़ा) में एक प्रदेश स्तर की मिट्टी एवं धातु प्रयोगशाला स्थापित की गई ।

संचालनालय सिंचाई अनुसंधान के अधीन वर्तमान में म.प्र. के अंतर्गत निम्नानुसार तीन प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं –

1. जल विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल।
2. मिट्टी, धातु एवं रसायन परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल।
3. मिट्टी एवं धातु परीक्षण प्रयोगशाला, जबलपुर।

प्रयोगशाला में प्रस्तावित/निर्माणाधीन तथा निर्मित परियोजनाओं की निर्माण संबंधी विभिन्न समस्याओं का अनुसंधान के माध्यम से समुचित निदान किया जाता है। संचालनालय के अधीन परियोजना के निर्माण में उपयोगी मिट्टी एवं धातु परीक्षण हेतु भोपाल एवं जबलपुर में प्रयोगशालायें कार्यरत है। वर्तमान में संचालनालय, मुख्य अभियंता बोधी के अधीन कार्यरत है।

उद्देश्यः–

(I) जल विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल :–

1) प्रस्तावित बांधों के स्केल मॉडल बनाकर प्रस्तुत डिजाइन की हाइड्रोलिक परफारमेंस के आधार पर परीक्षण कर समुचित सुझाव देना।
2) प्रस्तावित इनर्जी डिसीपेंशन अरेंजमेंट की क्षमता का परीक्षण करना।
3) निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्टेज कन्स्ट्रक्शन का अध्ययन कर समुचित सुझाव देना।
4) परियोजना के गेट आपरेशन अध्ययन पर समुचित प्रणाली का विकास करना।
5) परियोजना में उत्पन्न आकस्मिक समस्याओं का मॉडल अध्ययन कर उचित निदान प्रस्तुत करना।
6) बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत नदी के किनारों के कटाव को रोकने के लिये मॉडल अध्ययन कर समुचित झाव देना।
7) वर्ष 2014–15 मे निम्न परियोजनाओ के मॉडल अद्यतन कर रिपोर्ट प्रेषित की गयीः–
   1. बानसुजारा परियोजना 2–डी मॉडल स्टडी।

2. पवई परियोजना 2–डी मॉडल स्टडी।
3. महुअर परियोजना 3–डी मॉडल स्टडी।
4. मोहनपुरा परियोजना 2–डी मॉडल स्टडी।
5. कुंडलियां परियोजना 2–डी मॉडल प्रस्तावित है।

II) मिट्टी, पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल एवं जबलपुर :–

1) परियोजनाओं में उपयोग की जाने वाली मिट्टी की गुणवत्ता संबंधी विभिन्न परीक्षण कर उसकी उपयोगिता सुनिश्चित करना।

2) परियोजना में प्रयुक्त की जाने वाली निर्माण सामग्री जैसे रेत, मिट्टी, सीमेंट आदि का परीक्षण कर गुणों के आधार पर यह सुनिश्चित करना कि वे निर्माण में किस सीमा तक उपयोग की जा सकती है अथवा नहीं।

3) मिट्टी के अधिकतम घनत्व काम्पेक्ट करने के लिये जल की मात्रा का आकलन करना।

5.4 जल मौसम विज्ञान संचालनालय

मध्यप्रदेश में जल मौसम विज्ञान संरचना की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी । इस संरचना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के जल मौसम विज्ञान के आंकड़े एकत्र करने हेतु जल प्रवाह मापन स्थल, वर्षा मापन स्टेशन एवं पूर्ण मौसम केन्द्र स्थापित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 3 परियोजना 1. जल मौसम विज्ञान परियोजना नेटवर्क म.प्र. 2. जल मौसम विज्ञान परियोजना (प्रथम चरण) 3. जल मौसम विज्ञान परियोजना (द्वितीय चरण) का क्रियान्वयन हुआ है। म.प्र. के जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित विभिन्न मुख्य नदियों एवं सहायक नदियों पर निर्धारित मानक के अनुसार जल मापन स्थल स्थापित किये गये हैं। प्रथम चरण के अंतर्गत वैनगंगा, माही एवं ताप्ती कछार के जल ग्रहण क्षेत्रफल स्थलों का उन्नयन कार्य करते हुये राज्य स्तर, संभागीय एवं उप संभागीय कार्यालय स्तर में आंकड़ा केन्द्र स्थापित कर एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण कार्य प्रारंभ किया गया। द्वितीय चरण के अंतर्गत वैनगंगा, ताप्ती एवं माही कछार को सूचना प्रौद्योगिकी पद्धति को अपनाते हुये डिजिटल वाटर लेवल रिकार्डर जल प्रवाह स्थलों पर स्थापित किये गये हैं। जल मौसम के आंकड़े एकत्र करने के लिये रियल टाईम डाटा एक्विजीशन सिस्टम (Real Time Data Acquisition System) वैनगंगा कछार के अंतर्गत क्षेत्र में 28 वर्षामापी एवं 2 पूर्ण मौसम केन्द्र पर रेनगेज स्टेशन आदि स्थापित कर डाटा कलेक्शन एवं डाटा लॉग को जी.एस.एम./जी.पी.आर.एस. सिस्टम से जोड़कर भोपाल एवं सिवनी स्थित डाटा सेंटर में आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं। यह जल मौसम विज्ञान के आंकड़े एकत्र करने हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी की नवीन पद्धति है।

5.5 भू–जल सर्वेक्षण ईकाई:

भूजल सर्वेक्षण संरचना द्वारा सन 1970 से भूजल के सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस संरचना के अधीन अधीक्षण यंत्री, भूजल सर्वेक्षण मण्डल, भोपाल जो कि चार संभागीय वरिष्ठ भूजल विद कार्यालय उज्जैन, सागर, ग्वालियर और खण्डवा तथा 33 जिला भूजल सर्वेक्षण इकाईयों तथा रसायनिक प्रयोगशालाऐं सागर, ग्वालियर, उज्जैन भोपाल के साथ भूजल संवर्धन, भूजल विकास एवं जल विश्लेषण का कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री, सर्वे एवं अनुसंधान मण्डल जबलपुर तीन संभागीय वरिष्ठ भूजल विद कार्यालय जबलपुर, बालाघाट, रीवा तथा 14 जिला भूजल सर्वेक्षण इकाईयों के साथ एवं रसायनिक प्रयोगशालाओं द्वारा जबलपुर बालाघाट एवं रीवा में भूजल संवर्धन एवं जल विश्लेषण का कार्य निष्पादन सुचारू रूप से किया जा रहा है।

भूजल सर्वेक्षण संरचना का नियमित कार्य – भूजल सर्वेक्षण संरचना के अंतर्गत कुल 3700 स्थायी अवलोकन कूप है। इस संरचना द्वारा भूजल स्तर मापन का कार्य वर्षा पूर्व एवं वर्षा पश्चात किया जाता है। 1 जनवरी से 10 जनवरी (रबी मौसम) 10 से 20 मई (वर्षा पूर्व) 20 अगस्त से 30 अगस्त (वर्षा ऋतु) 1 नवंबर से 10 नवम्बर (वर्षा पश्चात) 540 पीजोमीटर का भी मापन कार्य किया जा रहा है।

5.6 केन बेतवा लिंक परियोजना :–

देश के जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग की दृष्टि से बनाई गई राष्ट्रीय महत्व योजना के प्रायद्वीप अवयव में 16 नदी जोड़ो योजनायें रेखांकित की गई है। बुन्देलखंड की केन–बेतवा लिंक परियोजना, इन परियोजनाओं में से एक नदी जोड़ो परियोजना है। दिनांक 25 अगस्त 2005 को मध्य प्रदेश शासन, उ.प्र.शासन एवं भारत सरकार के मध्य माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार की उपस्थिति में परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार करने हेतु म.प्र. शासन उ.प्र.शासन एवं भारत सरकार के मध्य त्रिपक्षीय मेमोरंडम ऑफ अन्डरस्टेडिंग हस्ताक्षरित किया गया। तदानुसार जल संसाधन मंत्रालय भारत–सरकार की ऐजन्सी "राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण" द्वारा इस परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) किया जा रहा है।

म.प्र. के पन्ना जिले में केन नदी पर दोधन बांध, दो पॉवर हाउस, एवं लिंक केनाल का निर्माण–

दोधन बांध का डूब क्षेत्र 9000 हेक्टेयर है जिसमें 5258 हेक्टेयर घना वन क्षेत्र 2171 हे. कृषि योग्य भूमि, 1571 हे. तालाबों, नदियों, नालों की भूमि आ रही है। दोधन बांध से म.प्र. में प्रस्तावित सिंचाई का विवरण निम्नानुसार है :–

स.क्र.	नहर	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)
1.	लोवर टनल के एम.पी.पी. नहर	1,39,848
2.	डेम स्लूस से बरियापुर वियर द्वारा	34894
3.	हाई लेवल नहर	59700
4.	सटई लिफ्ट	18678
5.	पनोथा लिफ्ट	7396
6.	केन बेतवा लिंक नहर	96751
	योग	**3,57,267**

1. म.प्र. की बेतवा नदी में प्रस्तावित परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :–

स.क्र.	नाम	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)
1.	नीम खेड़ा बैराज	3066
2.	केसरी बैराज	1479
3.	कोठा बैराज	17357
4.	लोवर ओर परियोजना	45047
5.	बीना काम्प्लेक्स परियोजना	84200
	योगः–	1,51,149

इस प्रकार केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्यप्रदेश में केन कछार में 3,57,267 हेक्टर एवं बेतवा कछार में 1,51,149 हेक्टर कुल 5,08,416 हेक्टर सैंच्य क्षेत्र में सिंचाई की जायेगी।

5.7 लोकायुक्त प्रकोष्ठः–

जल संसाधन विभाग से संबंधित लोकायुक्त संगठन, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, माननीय मुख्य मंत्री, सांसद, विधायक अन्य जनप्रतिनिधि, शासन तथा सामान्य जनों से प्राप्त शिकायतों का निराकरण कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के सतर्कता प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जाता है ।

5.8 सतर्कता प्रकोष्ठ :–

माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, महामहीम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री जल संसाधन विभाग, अन्य मंत्रीगण, सांसद, अन्य जन प्रतिनिधि, मुख्य सचिव महोदय, एवं शासन से प्राप्त शिकायतों की जांच सतर्कता कक्ष के माध्यम से की जाती है तथा जांच उपरांत निर्देशानुसार जांच प्रतिवेदन शासन तथा उच्च स्तर पर प्रेषित किये जाते हैं ।

5.9 जन शिकायत निवारण/सामान्य शिकायत प्रकोष्ठः–

शासन के जन शिकायत निवारण विभाग से प्राप्त शिकायतें तथा सामान्य नागरिक, विभिन्न संघों के पदाधिकारियों से सीधे अथवा शासन के माध्यम से प्राप्त शिकायतें इस कक्ष द्वारा व्यवहारित की जाती हैं।

5.10 एकल नस्ती :–

शासन स्तर पर व्यवहारित मूल नस्तियां/एकल नस्तियां (जिनके तहत् भी शासन से एकल नस्ती के माध्यम से शिकायती प्रकरण प्राप्त हुये हैं) एवं माननीय मंत्रीजी तथा शासन द्वारा विभाग स्तर पर उडनदस्ता दल का गठन कर शिकायतों की जांच हेतु निर्देशित प्रकरण इस कक्ष द्वारा व्यवहारित किये जाते हैं ।

5.11 न्यायालयीन प्रकरण :–

विभिन्न न्यायालयों में चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी दिसम्बर 2015 की स्थिति में निम्नानुसार है –

स. क्र.	विवरण	श्रम न्यायालय	औद्योगिक न्यायालय	उच्च न्यायालय	सर्वोच्च न्यायालय	अवमानना	उपादान	सिविल कोर्ट	आर्बीट्रेशन	कुल योग
1	दै.वे.भो. से संबंधित	259	34	515	123	103	25	1	0	1060
2	कार्यभारित स्थापना से संबंधित प्रकरण	3	15	211	3	33	0	0	0	251
3	नियमित स्थापना से संबंधित प्रकरण	0	0	387	7	42	01	01	0	438
4	ठेकेदारों से सबंधित	0	0	149	08	01	0	67	74	299

5	भू–अर्जन से संबंधित	0	0	568	55	0	0	1732	01	2356
6	अन्य जनसामान्य से संबंधित प्रकरण	04	0	87	01	05	02	65	0	164
	कुल योग	**266**	**35**	**1917**	**197**	**184**	**28**	**1866**	**75**	**4568**

5.12 विधानसभा प्रकोष्ठ :–

विभाग में वर्ष 2014–15 में प्राप्त विधान सभा प्रश्न ध्यानाकर्षण सूचना, स्थगन, अधिसूचना, अशासकीय संकल्प, अभ्यावेदन याचिका की स्थिति निम्नानुसार है:–

प्रकरण के प्रकार	दिसम्बर 2015 तक
विधान सभा प्रश्न	439
ध्यानाकर्षण सूचना	33
अधिसूचना	0
अशासकीय संकल्प	0
स्थगन प्रस्ताव	0
आश्वासन	34
अभ्यावेदन	0
याचिका	30
शून्य काल	2
कट मोशन	0
पढ़ी गई सूचना	04

5.13 सूचना का अधिकार

जल संसाधन विभाग के कार्यो में पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से म.प्र. शासन द्वारा भारत सरकार के दिशा– निर्देशों के अनुरूप मई 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। "सूचना के अधिकार" के संबध में विभागीय मेन्युअल के अनुरूप जनसाधारण शासकीय अभिलेख की प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में शासन स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी अवर सचिव, लोक सूचना अधिकारी, उप सचिव एवं अपीलीय अधिकारी सचिव, जल संसाधन हैं। विभागाध्यक्ष स्तर पर मुख्य कार्मिक अधिकारी को प्रमुख अभियंता कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी को सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित किया गया हैं। प्रमुख अभियंता विभागीय अपीलीय अधिकारी हैं।

5.14 दृष्टि पत्र (Vision Document) 2018

शासन के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से सिंचाई क्षमता के विकास हेतु दृष्टिपत्र बनाया गया है, जिसके मुख्य अंश निम्नानुसार है :–

- सिंचाई और कमाण्ड क्षेत्र विकास प्रदेश के अभूतपूर्व कृषि विकास में विगत पॉच वर्षों सिंचाई सुविधा के व्यापक विस्तार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भविष्य में जहॉ कृषि

क्षेत्र बढ़ाने पर निरंतर बल दिया जाता रहेगा, वहीं उपलब्ध जल का दक्षतापूर्ण उपयोग भी एक बड़ी चुनौती होगी। कमाण्ड क्षेत्र विकास, लघु सिंचाई का उपयोग तथा आर्थिक मूल्य निर्धारण को प्राथमिकता दी जायेगी।

- प्रतिवर्ष दो लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार।
- 12 वीं योजना में परिलक्षित सभी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर रबी में संचयी वास्तविक सिंचित क्षेत्र को कम से कम 33 लाख हेक्टर तक ले जाया जायेगा।
- वर्ष 2018 तक सिंचाई में करीब 700 लघु परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा।
- वर्तमान की सभी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में नहरी अस्तरीकरण की पहल की जायेगी।
- सभी जिलों में सिंचाई के लिये प्रतिदिन 10 घण्टे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।
- चिन्हित क्षेत्रों में कमाण्ड क्षेत्र विकास सिद्धांत आधारित माईक्रो इरीगेशन क्षेत्राच्छादन में पॉच गुना से अधिक की बढ़ोतरी।
- रेन वाटर हारवेस्टिंग और भू–जल पुनर्भरण को जल संग्रहण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोत्साहन।
- कुल पॉच लाख हेक्टर क्षेत्र में फील्ड चैनल्स और वाटर कोर्स का निर्माण।
- जल प्रयोग की दक्षता में वृद्धि हेतु आर्थिक मूल्यांकन को बढ़ावा और विशेषज्ञ सलाह सुनिश्चित करने के लिए एक जल विनियमन प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी।
- प्रभावी अन्तर्विभागीय समन्वय के उद्देश्य से समग्र कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनाओं का प्रारम्भ।
- सभी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजाओं में कमाण्ड क्षेत्र का विकास किया जायेगा।
- कृषि जल प्रयोग की दक्षता में 10 प्रतिशत वृद्धि की जावेगी।
- सभी नई मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजओं में कमाण्ड क्षेत्र के 10 प्रतिशत का माईक्रो इरीगेशन के तहत अच्छादन। भविष्य में सभी सिंचाई परियोजनाओं में कमाण्ड क्षेत्र का दो –तिहाई घटक माइक्रो इरीगेशन का होगा।
- सतही और भूमिगत जल के संयुक्त प्रयोग को सभी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- सभी बड़े कमांड क्षेत्रों के लिये एक प्रभावशाली संस्थागत व्यवस्था स्थापित की जायेगी।
- WALMI और संबंधित संस्थाओं को सशक्त कर संस्थागत प्रशिक्षण क्षमताओं का विस्तार।
- नर्मदा–मालवा वॉटर लिंक स्थापित कर मालवा क्षेत्र को सिंचाई के लिये जल की उपलब्धता।

- नर्मदा–मालवा लिंक परियोजना के अंतर्गत माईक्रो इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा । माईक्रो इरीगेशन नेटवर्क परियोजना के माध्यम से 7 लाख हेक्टर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की पहल के तहत नर्मदा जल के माध्यम से नदियों और भूमिगत जल को रिचार्ज किया जायेगा। इससे 06 लाख हेक्टर क्षेत्र को लाभ होगा।

अध्याय – छः

'जेण्डर मुद्दों' पर विभागीय गतिविधि

मध्यप्रदेश देश में ऐसा पहला राज्य है जहां सिंचाई प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी एवं भूमिका अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित की गई है। इस उद्धेश्य से म0प्र0 सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा 4 (क) (एक) के द्वारा किसी भी जल उपभोक्ता क्षेत्र में ऐसे भू–धारकों की पत्नियॉ जो कि भू–धारक नही है, को भी भू–धारक मान्य किया गया है। इस प्रकार से महिलाओं को कृषक संगठन के निर्वाचन में मताधिकार एवं उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदाय किया जाकर सशक्त किया गया है।

म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 32/1/99/मध्यम/31/1244 दिनांक 13.5.2000 के अनुसार यदि किसी कृषक संगठन में कोई महिला सदस्य निर्वाचित नही होती तो कृषक संगठन की प्रबंध समिति उसी संगठन क्षेत्र की किसी महिला को प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित करेगी, ताकि सिंचाई प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

म.प्र. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 की धारा 11 के अधीन कृषक संगठन के संचालन के लिए गठित की जाने वाली 6 उपसमितियों में से एक उपसमिति "महिलाओं की भागीदारी उपसमिति" गठित किये जाने का प्रावधान है जिसमें सभी 6 सदस्य महिलायें होंगी एवं इस समिति की अध्यक्षता भी महिला सदस्य द्वारा की जाती है। इस प्रकार से प्रदेश में विभाग द्वारा महिलाओं के उत्थान एवं उन्हें सशक्त बनाए जाने के लिऐ कृषि प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के लिये भी प्रावधान है।

अध्याय – सात

विभाग की प्रतिबद्धताएं एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियां

7.1 विभाग की प्रतिबद्धता :

मध्यप्रदेश शासन पूर्ण संकल्पित है कि खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जाये । जल संसाधन विभाग को सैंच्य क्षेत्र बढाने का महती दायित्व सौंपा गया है। इसमें कृषकों को सिंचाई सुविधा में बढावा देना, उन्नत किस्म के खाद–बीज हेतु ऋण सस्ते व्याज दरों पर उपलब्ध कराने बावत समुचित प्रयास किये जाना कृषकों के लिए अति महत्वपूर्ण है।

उपरोक्त में सिंचाई संसाधनों में वृद्धि करना एक प्रमुख लक्ष्य है। इसको पूर्ण करने के लिए शासन द्वारा सभी दिशाओं में समुचित प्रयास कर सफलता प्राप्त की जा रही है। आगामी दो वर्षों में 2.40 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त निर्मित सिंचाई किया जाना लक्षित है, जिससे प्रदेश में कुल दो वर्षों में निर्मित सिंचाई क्षमता 29.58 लाख से बढ़कर 31.98 लाख हैक्टेयर हो जायेगी।

राज्य के सिंचाई प्रतिशत को राष्ट्रीय औसत के समतुल्य किये जाने के लिये पुरजोर प्रयास किये जा रहे हैं। परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को त्वरित गति से पूरा करने के लिये बड़े पैमाने पर धन की व्यवस्था की गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007–2012 में सिंचाई प्रक्षेत्र के लिये रु. 8715.33 करोड़ का निवेश किया जाकर 5.07 लाख हेक्टर सिंचाई क्षमता सृजित की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012 से 2017 में रु. 17614 करोड़ का निवेश प्रावधानित होकर 5.66 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है।

सभी सिंचाई परियोजनाओं के नहरों के अंतिम छोर तक सिंचाई जल पहुंचाने के लिये विभाग प्रतिबद्ध है ताकि प्रदेश में निर्मित सिंचाई परियोजनाओं के जल का अधिकतम एवं दक्षतापूर्ण उपयोग सुनिश्चित् बना रहे। सभी वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं की नहरों की लाईनिंग कराने का कार्य चरणबद्ध तरीके से कराने का निर्णय लिया गया है।

सिंचाई जल के अपव्यय को रोकने तथा उपलब्ध जल का अधिकम लाभ लेने के उद्देश्य से माईक्रो इरिगेशन प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया गया है। जल संसाधन विभाग की मोहनपुरा, बाणसुजारा, कुण्डलिया, पंचमनगर, चंदेरी, पारसडोह तथा गरोठ परियोजनाओं में माइक्रो इरिगेशन पद्धति से सिंचाई उपलब्ध होगी।

विभाग के द्वारा सीमित संसाधनों के साथ–साथ केन्द्रीय सहायतार्थ बुन्देलखण्ड पैकेज, नाबार्ड ऋण एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इत्यादि सभी वित्तीय स्त्रोतों से भरसक प्रयास कर अधिकतम धनराशि प्राप्त की जा रही है।

7.2 महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ

- विभाग को वर्ष 2015–16 में निर्माण कार्यों के लिये उपलब्ध आवंटन रु. 5391.88 करोड़ के विरूद्ध दिसम्बर 2015 तक रु. 3870.22 करोड़ का निवेश किया जा चुका है।
- वर्ष 2015–16 में 1.26 लाख हेक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 1.04 लाख हेक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित कर ली गई है।
- वर्ष 2015–16 में विभाग द्वारा 24 लाख हेक्टर लक्ष्य के विरुद्ध 15 फरवरी 2016 तक 24.35 लाख हेक्टर क्षेत्र में रबी सिंचाई की जा चुकी है।

- 2 वृहद् परियोजना गरोठ (जिला मंदसौर) एवं चंदेरी (जिला अशोकनगर) की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।
- 7 मध्यम परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।
- खान नदी व्यपवर्तन परियोजना का कार्य प्रगति पर है।
- इस वर्ष 4 मध्यम परियोजनाएं (रेहटी, बर्घरू, कछाल एवं मरदानपुर उद्वहन सिंचाई योजना) को पूर्ण किया गया है।
- वर्ष 2015–16 में विभिन्न मदों के अंतर्गत 117 लघु योजनाओं को स्वीकृत किया गया, जिनके पूर्ण होने पर कुल 49501 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ।
- वर्ष 2015–16 में 150 लघु योजनाएं पूर्ण करने के लक्ष्य के विरुद्ध फरवरी 2016 तक कुल 99 लघु सिंचाई योजनाऐं पूर्ण की गई हैं जिससे 37042 हेक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की गई।
- वर्ष 2015–16 में फरवरी–16 तक आर.आर.आर. योजना के अंतर्गत 63 योजनाएं पूर्ण की गई हैं, जिससे 9353 हेक्टर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित हुई।
- कुण्डलिया बांध का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के पूर्ण होने पर 125000 हेक्टर सैंच्य क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
- नाबार्ड ऋण सहायता अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में 5 वृहद एवं 6 मध्यम योजनाऐं (कुल 11 योजनाऐं) नाबार्ड ऋण सहायता अन्तर्गत निर्माणाधीन है।
- कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में 57991 हेक्टर कमांड क्षेत्र विकास कार्य करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध दिसम्बर 2015 तक 48500 हेक्टर क्षेत्र में वॉटर कोर्स फील्ड चैनल का निर्माण कराया गया है।
- सिंचाई के दौरान जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्षों एवं जागरूक किसानों से मोबाईल फोन पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीधे सतत् संपर्क करके सिंचाई व्यवस्था की प्रभावी मानीटरिंग की गई है जिससे नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाना सुनिश्चित हुआ।

बारना परियोजना आर.बी.एम.सी. के डी–2 कमांड में टमाटर की फसल (जिला रायसेन)

बैनगंगा नहर वितरण बिन्दु ग्राम बरबसपुर जिला बालाघाट
(निर्माण वर्ष 1914, फोटोग्राफ – 10/12/1917)

मध्यप्रदेश माध्यम/2016
Printed at : Drishti Offset, BPL